कुरुक्षेत्र

सितम्बर 1989

मूल्य दो रुपये

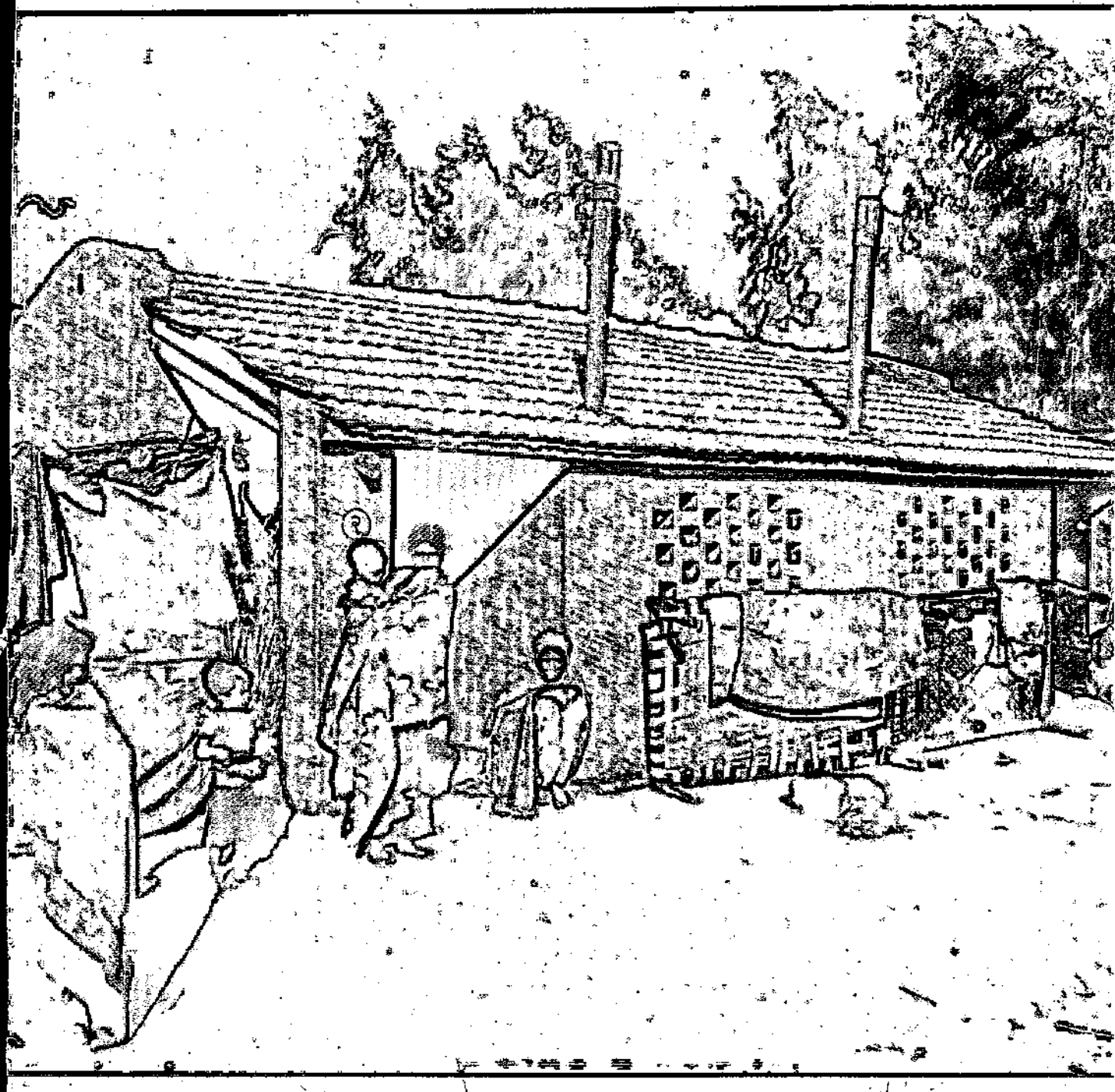

मेरा भारत महान : सबके लिए मकान

राष्ट्रीय आवास नीति और सबके लिए घर

डा. हेमचंद जैन

भोजन और कपड़े के बाद मनुष्य की सबसे अधिक बुनियादी आवश्यकता मकान की है। भारत जैसे गरीब देश में, जहां पांच परिवारों में-से एक के पास 'अपना घर' नहीं है, वहां अधिकांश 'अपने घर वाले परिवारों के घर' मान्य न्यूनतम स्तर से निचले स्तर के हैं। इस गंभीर समस्या के समाधान हेतु वर्तमान में लागू बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अहम् भूमिका भी प्रदान की गई, जिससे लोगों की इस बुनियादी आवश्यकता को संतोषजनक स्तर पर समयबद्ध आधार पर पूरा किया जा सके।

मकानों की बढ़ती जरूरतें

सातवीं योजना के शुरू में राष्ट्रीय भवन संगठन के अनुमान के अनुसार 2 करोड़ 47 लाख मकानों की कमी थी। इनमें से 1 करोड़ 88 लाख आवास ग्रामीण इलाकों में और 59 लाख शहरी क्षेत्रों में वांछित थे। एक अनुमान के अनुसार देश में 1985 से 1990 तक एक करोड़ 62 लाख नये मकान उपलब्ध कराये जाने हैं जिसमें से एक करोड़ 24 लाख आवास ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे और 38 लाख शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध होंगे। इस उपलब्धि की तुलना में उस समय तक 2 करोड़ 93 लाख नये आवासों की जरूरत में वृद्धि हो जायेगी। वर्ष 1988 में कुल मिलाकर दो करोड़ 83 लाख मकानों की कमी का अंदाज है। वर्ष 1990 तक इस कमी के चार करोड़ और वर्ष 2001 तक छह करोड़ 38 लाख आवासों की कमी हो जायेगी। इनमें से 3 करोड़ 26 लाख मकानों की कमी गांवों में होगी। आवास निर्माण की वर्तमान गति को देखते हुए, 'सबके लिए घर' का वायदा पूरा करने के लिए नीति और व्यवहार को एकजुट करना होगा, अन्यथा आवासों की कमी का आंकड़ा बढ़ता ही रहेगा।

कारणों की छानबीन

शहरी आवास समस्या के गंभीर होने का कारण ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों का शहरी क्षेत्रों एवं महानगरों की ओर पलायन है। स्वतंत्रता के बाद नियोजित विकास की प्राथमिकताएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, आवास और रोजगार सुविधाएं शहरों को केन्द्र में रखकर बनाई गईं और ज्यादा से ज्यादा फायदा शहरों के लोगों को मिला। वास्तव में गांवों के विकास को पर्याप्त अहमियत न देने के कारण, न केवल आवास समस्या वरन् देश के सामने विकराल रूप में कई सामाजिक - आर्थिक समस्याएं विद्यमान हैं। अतएव गांव की उपेक्षा की नीति का परित्याग करके, 'देहात' को केन्द्र में रखकर, नियोजित विकास की धारा को मोड़कर ही आवास समस्या के साथ-साथ अन्य संबंधित एवं एक दूसरे से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान संभव है।

राष्ट्रीय आवास नीति – सबके लिए आवास की पहल

12 मई 1988 को घोषित राष्ट्रीय आवास नीति के अनुसार वर्ष 2000 तक सबके लिए आवास मुहैया कराने की ठोस कोशिश की जायेगी, जिसमें शहरों और ग्रामीण गरीबों और कमजोर वर्ग के लोगों को घर बनाने की सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। आवास बनाने के लिए जरूरी धन की व्यवस्था हेतु आवास नीति में विशेष वित्त प्रणाली बनाने पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय आवास बैंक का गठन संसाधन इकट्ठा करने, राज्य/क्षेत्रीय स्तरों पर आवास-वित्त संस्थाओं को बढ़ावा देने तथा वित्त पोषण करके इनके कामकाज को नियमित करने के दायित्व को पूरा किया गया है। भवन एवं शहरी विकास निगम का दायरा बढ़ाया जायेगा तथा भूमि विकास एवं आवास के लिए ऋण की व्यवस्था हेतु शहरी समितियों तथा बचत एवं ऋण संस्थाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। गांवों के सभी कच्चे मकानों को सुधारने के साथ-साथ, शहरी क्षेत्रों में भीड़भाड़ को कम करके नये मकानों का निर्माण एवं रिहायशी वातावरण को स्वस्थ बनाना ही आवास नीति का मुख्य उद्देश्य है। घर बनाने की सामग्री की लागत कम करने तथा निर्माण कौशल के स्तर में सुधार पर भी जोर दिया गया है। लेकिन भवन निर्माण संस्थाओं को सस्ती भवन निर्माण सामग्री के उपयोग

के लिए मजबूर करना होगा। आवास पर सरकारी कुल व्यय के अनुपात में वृद्धि करनी होगी और आवास पर व्यय का वर्तमान लक्ष्य बढ़ाना होगा, जिससे वर्ष 2000 तक मकानों की कमी दूर होकर सबके लिए घर मुहैया हो सके। देश में आवास को संवैधानिक आवश्यकता घोषित नहीं किया गया है और सरकार की भूमिका 'सबको घर प्रदान करने में' उत्प्रेरक और मददगार तक ही सीमित है। वास्तव में न सुलझने वाली समस्या को सुलझाने के प्रति राष्ट्रीय आवास नीति एक कारगर कदम है और परिणामस्वरूप समस्या की विकरालता को कम करने में आवास के क्षेत्र में उपलब्धियां समाधानवर्धक सिद्ध होंगी, ऐसी आशा दिखाई देती है।

मध्य प्रदेश की नई आवास नीति

राष्ट्रीय आवास नीति के अनुरूप, मध्य प्रदेश में भी सरकार के द्वारा अपनी आवास नीति को विभिन्न पहलुओं पर समग्र विचार करके, नये आयाम प्रदान किए हैं। नयी आवास नीति 'हर एक आदमी का अपना घर हो' के बुनियादी हक को केन्द्र में रखकर बनाई गई है। प्रदेश में 1981 से लागू आवास नीति के पुनर्निधारण की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। शहरी विकास और आवासीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को मद्देनजर रखते हुए, आवास नीति को अधिक रचनात्मक स्वरूप प्रदान करना जरूरी था। इस नीति के अन्तर्गत वर्ष 1990 तक राज्य के प्रत्येक परिवार को 'अपना घर' उपलब्ध करा देने की योजना है। इस योजना के तहत वर्ष 1988-89 में 50 करोड़ रुपये की लागत से 10 हजार मकान एवं लगभग 8000 भूखण्डों का विकास किया जायेगा। इस आवास नीति में मुख्य रूप से झुग्गी – झोपड़ी वासियों की समस्या, सेवा निवृत्त कर्मचारियों के लिए आवास भूखण्ड, सहकारी गृह निर्माण समितियों को सस्ती दर पर भूमि आदि समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस नीति में मकान बनाने के लिए भूमि और धन मुहैया कराने के साथ, इससे संबंधित संस्थाओं और व्यवस्थाओं में भी ऐसा परिवर्तन किया गया है, जिससे लोगों की मकान की बुनियादी जरूरत पूर्ण हो सके। जमीन के बेहतर प्रबंध के लिए शहरी भूमि बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया है। शहरी भूमि के प्रबंध के लिए एक शहरी भूमि संचालनालय की स्थापना की जायेगी। भूमि अर्जन करने एवं सार्वजनिक क्षेत्र की आवास निर्माण संस्थाओं की सहायता के लिए आवृति कोष का निर्माण भी शासन के द्वारा किया जायेगा। बस्तियों के लिए भूमि विकास और मकान बनाने के लिए निजी संस्थाओं को भी प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा। गंदी बस्तियों में सुधार लाने के लिए संस्थागत वित्त को हासिल किया जायेगा। शहरों के बेघर मजदूरों के लिए पूरी नागरिक सुविधाओं वाली बस्तियों का राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की मदद से विकास किया जायेगा। अब रिहायशी भूखण्ड के 60-65 प्रतिशत हिस्से में मकान निर्मित किया जा सकेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में भूखण्ड उपलब्ध कराने के लिए मार्च 1990 तक सभी भूमिहीन परिवारों को भूखण्ड उपलब्ध करा दिए जायेंगे। आवास निर्माण के लिए अतिरिक्त वित्तीय साधन उपलब्ध कराये जायेंगे। राज्य की नयी आवास नीति का मुख्य मकसद "हर एक को घर" अपनी जमीन में जड़ जमाने का अवसर देना है, जिससे राज्य का प्रत्येक व्यक्ति 'अपने घर' के सपने को साकारता प्रदान करके, सुरक्षा, अपनेपन की भावना और अधिकार की चेतना महसूस करके, अपने एक बुनियादी अधिकार को पूरी तरह पा सके।

वैज्ञानिक (अर्थशास्त्र)
ज.ने. कृषि विश्वविद्यालय,
जबलपुर (म.प्र.)

ग्रामीण आवास : समस्या और समाधान

मनोज पाण्डेय

रोटी और कपड़े की तरह घर भी मनुष्य की मूल आवश्यकताओं में से एक है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात हमारा देश, गरीबी कम करने के लिए, लोगों को रोटी और कपड़ा उपलब्ध कराने के प्रयासों में तो सफल हुआ है पर हर देशवासी के लिए मकान की व्यवस्था का सपना पूरा करने में हमें सफलता नहीं मिली, जबकि यह समस्या काफी गम्भीर है। वास्तव में समस्या की गम्भीरता ही समाधान के उपायों के लिए चुनौती बन कर अड़ी रही है। हमारे देश की लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आवास की मांग वर्ष दर वर्ष बढ़ती जाती है। नेशनल बिल्डिंग आर्गनाइज़ेशन के एक अनुमान के अनुसार गांवों में मार्च 1981 में 163 लाख मकानों की कमी थी, जो कि 1986 में बढ़कर 188 लाख हो गई। यदि यह दर इसी गति से बढ़ती गई तो 1991 तक इसके बढ़कर 206 लाख तथा सन् 2000 तक 255 लाख हो जाने की संभावना है।

ग्रामीण आवास का अतीत

ग्रामीण आवास की समस्या ने अतीत में हमें गम्भीर संकट की चेतावनी नहीं दी, क्योंकि शहरों की गंदी बस्तियों को देखकर तो इस समस्या का आभास आसानी से हो जाता है परंतु गांवों में इस समस्या के अस्तित्व का आभास तुरंत नहीं हो पाता। यही कारण है कि ग्रामीण विकास में आवास की जो प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिल पाई। सच तो यह है कि ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही क्षेत्रों में काफी अरसे तक आवास को निम्न प्राथमिकता दी जाती रही क्योंकि इसे उत्पादक गतिविधि तथा सम्पत्ति निर्माण का साधन समझने के बजाय उपभोग आवश्यकता समझा गया।

ग्रामीण आवास के लिए वर्तमान योजनाएं

सौभाग्यवश ग्रामीण आवास को अब आर्थिक नियोजन में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है तथा इसके समाधान के लिए समयबद्ध योजनाएं शुरू की जा रही हैं, यद्यपि गृह निर्माण अभी भी मुख्यत: निजी कार्य है फिर भी सार्वजनिक क्षेत्र, संसाधनों को कार्यप्रवृत्त करके, निर्माण सामग्री के कार्यव्यापार हेतु आधारभूत ढांचे का निर्माण करके तथा अनुसंधान समर्थन के माध्यम से, अप्रत्यक्ष रूप से इसके संवर्द्धन में सक्रिय है। इसके लिए सरकार भी कई वित्तीय तथा अन्य सुविधाएं देती है। इसके अलावा सरकार गरीबों को मकान उपलब्ध करवाने के लिए, सीमित स्तर पर विकासक और निर्माता की भूमिका का उत्तरदायित्व भी लेती है। हाल ही के वर्षों में सामाजिक आवास योजनाओं की एक श्रृंखला शुरू की गई हैं जिसके अंतर्गत सरकारी एजेंसियां मकानों का निर्माण करती हैं या ग्रामीण गरीबों को जमीन देती हैं। इन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इन्हें बीस सूत्री कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय आवास नीति में शामिल किया गया है।

सन् 1979 से, ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन श्रमिकों को मकान बनाने के लिए निर्माण सहायता तथा जमीन उपलब्ध कराने की योजना, मुख्य सामाजिक आवास कार्यक्रम के रूप में कार्य कर रही है। इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा भूमिहीन श्रमिकों को 100 वर्ग गज तक जमीन मुफ्त दी जाती है। इसके अलावा इन्हें 2000 रु. निर्माण सहायता तथा 500 रु. भूमि विकास सहायता के रूप में दिए जाते हैं। नए बीस सूत्री कार्यक्रम के 14वें सूत्र को लागू करने के उद्देश्य से गृह निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध कराने के लिए 36 करोड़ रु. तथा निर्माण सहायता के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में 541 करोड़ रु. आबंटित किए गए। इसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं तथा इसकी प्रगति संतोषजनक है। वर्ष 1988-89 के पहले नौ महीनों में 5.97 लाख ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को गृह निर्माण के लिए जमीन दी गई। गत आठ वर्षों के दौरान 84.5 लाख भूमिहीन परिवारों को जमीन दी गई तथा लगभग 34 लाख ऐसे परिवारों को निर्माण कार्य के लिए सहायता दी गई।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में, ग्रामीण गृह निर्माण कार्यों के लिए, आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) तथा बीमा निगमों जैसी सार्वजनिक संस्थाओं ने 240 करोड़ रु. का प्रावधान रखा है। सामाजिक आवास में हुडको प्रमुख संगठन के रूप में कार्य कर रहा है। निगम छोटे तथा सीमांत किसानों के लिए, आवास योजना के अंतर्गत नए मकानों के निर्माण तथा मरम्मत/नवीनीकरण के लिए, निम्न ब्याज दर पर ऋण देता है जिसकी अदायगी लम्बे समय में करनी होती है।

निगम ने हाल ही में भू-संरक्षण गतिविधियों के लिए और जल आपूर्ति, जल निकासी तथा सफाई प्रबंध जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्राम आबादी पर्यावरण सुधार योजना शुरू की है।

नेशनल बिल्डिंग आर्गनाइजेशन अपनी प्रदर्शन आवास योजना के अंतर्गत प्रदर्शन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कम कीमत के मकानों का निर्माण करता है। इन मकानों का निर्माण देश के विभिन्न भागों की स्थानीय जलवायु के अनुकूल स्थानीय सामग्री और शिल्प का अधिकतम उपयोग करते हुए अधिक स्थायी और बेहतर निवास के लिए किया जाता है। अब तक संगठन ने अपने 15 क्षेत्रीय आवास विकास केन्द्रों के माध्यम से 114 समूहों का निर्माण किया है। प्रत्येक समूह में कम लागत वाले 20 मकान बनाए गए हैं। ये मकान आदिवासी जातियों/जनजातियों, भूमिहीन कृषक श्रमिकों तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर अन्य वर्गों के परिवारों को दिए जाते हैं। इसके लिए जमीन राज्य सरकार देती है तथा नेशनल बिल्डिंग आर्गनाइजेशन, निर्माण तथा पर्यावरण सुधार का एक-तिहाई खर्च वहन करता है। इससे लाभान्वित व्यक्ति को केवल दो-तिहाई व्यय वहन करना पड़ता है। इसके अलावा संगठन, विभिन्न आवास कार्यक्रमों में लगे ब्लाक विकास अधिकारियों, पंचायती राज अधिकारियों, जूनियर इंजीनियरों तथा शिल्पकारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाता है।

निर्धनतम ग्रामीणों के लिए, अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए और मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों के लिए एक अन्य प्रमुख कार्यक्रम — इंदिरा आवास योजना 1985-86 से कार्यान्वित किया गया है। इंदिरा आवास योजना, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम का ही घटक है जिसे हाल ही में जवाहर रोजगार योजना में सम्मिलित कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत दिसंबर 1988 तक लगभग 4.5 लाख मकानों का निर्माण किया गया है।

जुलाई 1988 में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक के रूप में की गई। सौ करोड़ रु. की प्रारम्भिक अधिकृत पूंजी वाला यह बैंक, आवास वित्त संगठनों के संवर्द्धन के लिए मुख्य एजेंसी है। बैंक द्वारा कार्यप्रवृत्त संसाधनों को, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आवास विकास में लगे सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के माध्यम से आवास क्षेत्र को उपलब्ध कराया जाता है।

देश में आवास की समस्या के समाधान के लिए केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय आवास नीति तैयार की है, जिसे निकट भविष्य में संसद का अनुमोदन मिलने की संभावना है। सन् 2000 तक आवासहीनता की समस्या को दूर करना इस नीति का उद्देश्य है। ग्रामीण आवास के संदर्भ में, इस नीति में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य क्षेत्रों की पहचान का प्रावधान है। ये हैं – (1) अनुसूचित जातियों/जनजातियों, मुक्त किए गए बंधक मजदूरों तथा शिल्पकारों को मकान निर्माण के लिए वित्तीय सहायता तथा जमीन उपलब्ध कराना, (2) संस्थागत आवास वित्त की सुलभता, (3) कम कीमत के मकान, शिल्प विकास तथा मकान की अभिकल्पना का विकास तथा (4) स्थानीय तौर पर अनुपलब्ध, आवश्यक भवन निर्माण सामग्री की आपूर्ति तथा सुपुर्दगी प्रणाली को सुदृढ़ बनाना।

गत कुछ वर्षों में ग्रामीण आवास की स्थिति में सुधार आया है। अनुमान है कि 1971 में ग्रामीण आवासीय गृहों की संख्या 7.45 लाख हो गई जो कि 1961 में 6.52 लाख थी तथा 1981 में यह संख्या बढ़कर 88.7 लाख हो गई। सन् 1981 के बाद के अगले सात वर्षों में ग्रामीण आवास की स्थिति में सुधार हुआ और 120 लाख मकानों की वृद्धि हुई। पिछले दो-तीन दशकों में गांवों में मकानों की गुणवत्ता में भी वृद्धि हुई जिससे पक्के मकानों का अनुपात पहले से बढ़ गया है। यद्यपि मकानों की संख्या और गुणवत्ता दोनों में सुधार हुआ है फिर भी दोनों ही दृष्टियों से चुनौती भी बढ़ रही है।

आवास योजनाओं को प्रभावी बनाने हेतु सुझाव

अतः देश को इस समस्या के समाधान के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाना चाहिए। सभी ग्रामों की आवास आवश्यकताओं का पता लगाना चाहिए। आवास की आवश्यकताओं का निर्धारण करते समय स्थानीय जलवायु, सामान्य आर्थिक स्थितियों, भूमि की उपलब्धता तथा व्यवसायिक आवश्यकताओं को दृष्टि में रखना चाहिए। इस प्रकार एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर कार्यवाही योजना शुरू कर अपेक्षित अवधि में, मकानों की कमी को दूर करना चाहिए। तकनीकी मिशनों के मामले में ऐसी कार्यविधि को सफलता मिलती है अतः ऐसी कोई वजह नजर नहीं आती कि इस क्षेत्र में इसे सफलता न मिले। इसमें संदेह नहीं कि इस प्रकार की कार्यविधि क्षेत्रीय असंतुलन को

दूर करेगी तथा अव्यवस्थित और पर्यावरण की दृष्टि से दूषित मकानों के निर्माण पर रोक लगेगी। आवास नीति प्रलेख में ऐसी कार्य योजना का उल्लेख है जिससे चुनौती का सामना करने की आशा बंधती है।

ग्रामीण आवास को आर्थिक गतिविधियों में उच्च प्राथमिकता दिए जाने की भी आवश्यकता है। इसे अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इसे ग्रामीण सड़क निर्माण, भूमि तथा जल संरक्षण, ग्रामीण सम्पर्क तथा विद्युतिकरण और भूमि सुधार जैसे कार्यक्रमों के साथ जोड़कर विकसित किया जाना चाहिए। जब तक आवास को व्यक्ति की मूल आवश्यकता के रूप में नहीं लिया जाता तथा इसे विस्तृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंग के रूप में नहीं स्वीकार किया जाता तब तक पेय जल, सफाई व्यवस्था, बिजली, मल-जल प्रणाली जैसी सुविधाएं भी प्रभावी नहीं बन सकतीं।

ग्रामीण आवास की भूमिका को विकास गतिविधि के रूप में महत्व देने की आवश्यकता है। गांव में निर्मित अतिरिक्त आवास केवल निवास इकाई नहीं होता बल्कि गरीब शिल्पकार अथवा छोटे व्यापारी का कार्य-स्थल भी होता है। चूंकि गृह निर्माण श्रम प्रधान कार्य है अतः यह अकुशल और अर्द्ध-कुशल श्रमिकों को उनके निवास के निकट, विशेषकर जब खेतों पर काम नहीं होता तब रोजगार उपलब्ध करवाता है।

विकासशील देश में संसाधनों की कमी तीव्र विकास में सबसे बड़ी बाधा है। अत्यधिक पूंजी की खपत वाले गृह निर्माण जैसे क्षेत्र में तो यह बाधा और भी अधिक आती है। इसके लिए अब कम पूंजी की खपत वाला विकल्प उपलब्ध है: स्थानीय कच्चे माल और उन्नत तकनीकी का प्रयोग। इससे ग्रामीण आवास समस्या का समाधान संभव है।

लकड़ी, पत्थर, मिट्टी तथा गोबर जैसी स्थानीय भवन निर्माण सामग्री न केवल ईंट, लोहे तथा कंकरीट से सस्ती है बल्कि इसके कई अन्य लाभ भी हैं। ये स्थानीय जलवायु के अनुकूल हैं अथवा परंपरागत सुविज्ञता से इन्हें अनुकूल बनाया जा सकता है। इनके प्रयोग के लिए विशेष कुशलता की आवश्यकता भी नहीं होती। ऐसे निर्माण की मरम्मत करना भी आसान होता है। तथा ऐसी सामग्री का प्रयोग करने से एक लाभ यह भी होता है कि परिवहन का व्यय भी बच जाता है।

उन्नत अभिकल्पना तथा कम कीमत की तकनीकी का प्रयोग कर, निर्माण लागत को कम रख कर अधिक टिकाऊ और अधिक सुंदर मकानों का निर्माण किया जा सकता है। स्थानीय/परंपरागत भवन निर्माण सामग्री का प्रयोग कर भवन निर्माण की अवधारणा में क्रांति लाई जा सकती है। इसी प्रकार की साधारण और स्थानीय सामग्री तथा उन्नत अभिकल्पना के समर्थक श्री लारी बेकर ने ऐसी ही सामग्री से निर्मित एक सुंदर मकान का प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि 20 वीं शताब्दी के ज्ञान और तकनीकी का प्रयोग करो, उसका विकास करो तथा उसे और अधिक प्रभावी बनाओ। ऐसी तकनीकी हमारी आवास की बढ़ती मांग को पूरा करने में सक्षम है। यह तकनीक हुडको, एन बी ओ और काउंसिल फार एडवांसमैंट आफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टैक्नोलाजी जैसी सरकारी एजेंसियों तथा कई अन्य स्वैच्छिक संगठनों द्वारा लोकप्रिय बनाई तो जा रही है पर ग्रामीण तथा शहरी आवास निर्माण में इन्हें धीमी गति से अपनाया जा रहा है। अतः इस तकनीक में और सुधार करने की आवश्यकता है। अतः विकसित तकनीक को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रदर्शन किए जाने चाहिए तथा जन-सम्पर्क से इसके प्रति पूर्वाग्रहों को दूर किया जाना चाहिए। स्थानीय मिस्त्रियों और मजदूरों को आवश्यक योग्यता प्रदान करने के लिए राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण प्रणाली शुरू की जानी चाहिए। इस प्रणाली को ग्रामीण रोजगार योजना के घटक के रूप में शुरू किया जा सकता है।

यह समझ लेना जरूरी है कि वर्तमान में कम लागत के मकान, कंकरीट-ईंट तथा अन्य टिकाऊ और भलीभांति स्वीकृत निर्माण सामग्री का स्थान नहीं ले सकते क्योंकि एक तो आवास कम लागत की तकनीक के व्यापक रूप से स्वीकृत किए जाने तथा इसे सस्ता किए जाने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता, दूसरे सस्ती निर्माण सामग्री के प्रति हमारे पूर्वाग्रहों को समाप्त करने में अभी काफी समय लगेगा।

ग्रामीण गृह निर्माण में एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू जिसकी प्रायः हम उपेक्षा करते हैं वह है — मकानों के आस-पास के स्थलों का उचित विकास। सफाई प्रबंध, जल आपूर्ति, रोशनी तथा हवा के आवागमन की सुविधाओं के बिना बनाए गए मकान वे सामाजिक लाभ उपलब्ध नहीं कराते, जिनके लिए आवास क्षेत्र की प्राथमिकता का समर्थन किया जाता है। इन प्रावधानों के लिए अतिरिक्त निवेश की

बजाय उचित ढांचा बनाने, पूर्व नियोजन करने तथा डिजाइन में परिवर्तन लाने की जरूरत है।

ग्रामीण आवास के तीव्र विकास के लिए वित्तीय संसाधनों के अलावा भी कई रुकावटें आती हैं, ये हैं – सामाजिक आवास के लिए भूमि की अनुपलब्धता तथा मुकदमेबाजी में फंसी भूमि। लम्बी कानूनी प्रक्रिया तथा कानूनी जानकारी के अभाव के कारण भी दलाल, भ्रष्ट अधिकारी तथा ठेकेदार भी गांव वासियों को ठगते हैं। इसके अलावा वनों के कटाव, ठेकेदारों के नियंत्रण तथा अन्य कई कारणों से स्थानीय सामग्री भी महंगी और अपर्याप्त होती जा रही है।

भूमि सुधार पर अब काफी ध्यान दिया जा रहा है। केन्द्र और राज्य सरकारें भूमि संबंधी कानूनों में सुधार करने की कोशिश कर रही हैं। आशा है कि अपेक्षित प्रशासनिक और कानूनी उपाय, भूमिहीन और भूमि से बेदखल किए गए गांव वासियों को जमीन का टुकड़ा उपलब्ध कराएंगे जिसे वे अपना कह सकेंगे। राज्य सरकारों की ओर से गैर कानूनी ढंग से अधिकृत की गई सामुदायिक भूमि को मुक्त कराने के उपाय करने का भी प्रस्ताव है।

आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय आवास नीति भारत में आवास की गति निर्धारित करेगी। यह ग्रामीण आवास के लिए सर्वोत्तम ढांचा प्रस्तुत करेगी। यह नीति आवासहीनता को दूर करने के लिए चुनौती को स्वीकार करती है। इस नीति के तहत निम्नतम आवास स्तर के नीचे के मकानों को उन्नत किया जाएगा तथा इस शताब्दी की समाप्ति तक सबको न्यूनतम स्तर की मूल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये सभी उद्देश्य भले ही उच्चाकांक्षी लगते हैं पर इसमें संदेह की तनिक भी गुंजाइश नहीं है कि इसके लिए जब तक ऊंचे लक्ष्य नहीं रखे जाएंगे और उन्हें पूरा करने के लिए कृतसंकल्प हो कर उपाय नहीं किए जाएंगे तब तक ग्रामीण आवास की कमी की समस्या और अधिक गंभीर होती जाएगी तथा नियंत्रण से बाहर होती जाएगी।

अनुवाद : अमन सेठिया,
डी-15/145, सेक्टर-7
रोहिणी, दिल्ली-34

राष्ट्रीय बचत

महेश चन्द्र शुक्ल

थोड़ा बहुत बचाइये, निज भविष्य के हेतु।
निर्धनता की नदी का बन सकता है सेतु।
बन सकता है सेतु, वक्त पर काम में आये।
बचत पत्र में लगा हुआ धन चोर न पाये।
कहते चन्द्र महेश, बचत से जिसने भी मुख मोड़ा।
उसका जीवन हुआ कष्टप्रद, बहुत होय चाहे थोड़ा।

पाये आय कर मुक्ति, छूट कुछ ब्याज पै पायें।
बट की बरारौन जैसा धन बढ़ता जाये।
कहते चन्द्र महेश, रोक दो थोड़ी धन की खपत।
बचत बैंक में धन रखो, कर थोड़ी-थोड़ी बचत।

4/315, आनन्द नगर, शुक्लागंज
उन्नाव, उत्तर प्रदेश

ग्रामीण आवास समस्या : कुछ सुझाव

वीणा व्यास

भारत गांवों में बसा है क्योंकि 80 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या देहातों में रहती है। गरीबी, पिछड़ेपन और अशिक्षा के कारण ग्रामीण लोगों का जीवन स्तर काफी नीचा है। लाखों परिवार ऐसे हैं जिन्हें न तो खाने के लिए पर्याप्त अनाज मिलता है, न पहनने के लिए कपड़ा और न ही रहने के लिए मकान। रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताएं हैं। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग रोटी और कपड़ा ही नहीं जुटा पाते हैं, मकान की बात तो दूर रही। धरती माता की गोद में खुले आकाश की चादर ओढ़कर ये अभागे रहते हैं। तपतपाती गर्मी, कड़कड़ाती सर्दी और मूसलाधार वर्षा में इनको कितना कष्टमय जीवन बिताना पड़ता होगा, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।

आवास की समस्या शहरी और देहाती दोनों ही क्षेत्रों में अत्यधिक गंभीर है। शहरों में 25 से 35 प्रतिशत लोग गन्दी बस्तियों में रहते हैं जबकि गांवों में दो तिहाई लोग घास-फूस के कच्चे मकानों में शरण लिए हुए हैं। झुग्गियों, झोपड़ियों और ढाणियों में ये जैसे-तैसे अपना सिर छिपाते हैं। न शुद्ध हवा, न रोशनी, न शुद्ध जल और न ही शौचालय की व्यवस्था। ऐसे अमानवीय और नारकीय माहौल में पशुवत जीवन बिता रहे लोगों की व्यथा और पीड़ा सभ्य कहलाने वाले समाज के लिए दरअसल एक बड़ी चुनौती है। अपर्याप्त और असंतोषजनक आवास व्यवस्था का प्रभाव न केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है बल्कि इससे मानसिक तनाव भी बढ़ता है।

सामाजिक कल्याण के लिए कृतसंकल्प सरकार का यह दायित्व है कि वह जनता को उसकी बुनियादी आवश्यकताएं उपलब्ध कराये। केन्द्र और राज्य सरकारें अपने इस दायित्व के प्रति सजग हैं। पिछले कुछ वर्षों में आवास समस्या को प्राथमिकता देकर काफी बड़ी तादाद में मकान बनाए गए हैं। किन्तु वस्तुस्थिति यह है कि इसके बावजूद मकानों की आवश्यकता और उसकी उपलब्धता के बीच भारी अन्तर है। जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ यह खाई निरन्तर बढ़ती जा रही है। आवास की समस्या इतनी बड़ी है कि अकेले सरकार के प्रयत्नों से इसका समाधान संभव नहीं है। शहरों में शिक्षित वर्ग ने सहकारी आवास समितियां गठित करके अपनी समस्या हल करने का अवश्य कुछ प्रयास किया है। इसके अलावा, बड़े ठेकेदार और भवन निर्माता भी कालोनियां और एपार्टमेंटस् बनाकर जरूरतमंद लोगों को मकान उपलब्ध करा रहे हैं। पर गांव तो इन सब सुविधाओं से वंचित हैं। गरीबी, अशिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण गांवों के लोग संगठित होकर शहरों की तरह सहकारी आवास समितियां बनाने की बात सोच भी नहीं सकते।

पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत आवास समस्या को हल करने के कुछ प्रयत्न किए गए। कमजोर और पिछड़े वर्ग के लिए मकान बनाए गए और मकान बनाने के इच्छुक लोगों को कर्ज देने की भी व्यवस्था की गई। यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि बिचौलियों की वजह से इन कल्याणकारी कार्यक्रमों का ग्रामीणों को समुचित लाभ नहीं मिला। मकान बनाने के लिए स्वीकृत राशि में से काफी बड़ा अंश बिचौलियों की जेबों में चला जाता था।

प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने सत्तारूढ़ होने के बाद आवास की समस्या को प्राथमिकता दी। यह अनुभव किया गया कि छुटपुट प्रयासों से आवास की समस्या हल नहीं होगी। राष्ट्रव्यापी आधार पर इस समस्या को हल करने के लिए राष्ट्रीय आवास नीति घोषित की गई है। इसके प्रारूप में कहा गया है कि आवास समस्या समग्र, सामाजिक-आर्थिक विकास से गहरी जुड़ी हुई है। आवास का प्रबन्ध हो जाने पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है और राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति का आधार तैयार हो जाता है। ये उद्देश्य हैं – जीवन के स्तर को ऊंचा उठाना, आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना, रोजगार के पर्याप्त अतिरिक्त अवसर उत्पन्न करना, उत्पादकता बढ़ाना, स्वेच्छा से बचतों के लिए प्रबल प्रेरणा देना और स्वास्थ्य, सफाई और शिक्षा के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार करना। राष्ट्रीय आवास नीति के प्रारूप में व्यक्त किए गए उक्त विचार अक्षरशः सही हैं क्योंकि मनुष्य

कम लागत के ग्रामीण आवास

डा. (कु.) पुष्पा अग्रवाल

भारत में लगभग 5.5 लाख गांव हैं। देश की 76% जनसंख्या गांवों में रहती है। हमारे आर्थिक विकास में गांव ही प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। अत: गांवों का विकास तेजी से करना बहुत आवश्यक है। गांवों में आवास की स्थिति प्राय: बहुत ही असन्तोषजनक है। यहां की जलवायुगत भिन्नता, असमान परिस्थितियों तथा विभिन्न प्रकार के आवश्यक निवेश की अपर्याप्तता जैसी मूलभूत समस्याओं के परिणाम स्वरूप आवास और पर्यावरणीय सुधार का कार्य एक चुनौती है। इसके लिए ग्रामीण कार्यक्रमों से सम्बन्धित राज्य-प्राधिकरणों, अनुसंधान, विकास और अन्य संगठनों द्वारा संगठित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

ग्रामीण आवास में परिष्कार की अनिवार्यता भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करती रही है। निर्माण तथा आवास सम्बन्धी सभी तकनीकी मामलों के लिए एक सलाहकारी और समन्वयकारी संस्था के रूप में सरकार द्वारा 1954 में राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन की स्थापना की गई थी। वर्ष 1958 में संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों का एक दल इस संगठन में आया था और इसे स्कोप क्षेत्र के ऊष्ण और शुष्क कटिबन्धों के लिए संयुक्त राष्ट्र के क्षेत्रीय आवास केन्द्र की वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी सौंपने की सिफारिश की थी। इस संगठन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:—

— सभी तकनीकी उपलब्धियों के आधार पर भारत में कम लागत के आवास बनाना।

— परम्परागत भवन निर्माण सामग्री का उन्नत उत्पादन आरम्भ करना तथा नए भवन निर्माण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना।

— भवन निर्माण तकनीकों तथा आवास में नवीनतम प्रगति की सूचना का संग्रहण, प्रलेखन तथा प्रसारण।

उपरोक्त के अतिरिक्त नियोजन, अभिकल्पना तथा निर्माण, भवन निर्माण की समस्याएं जैसे-निर्माण में सीमेन्ट, इस्पात और लोहे के उपयोग में मितव्ययता, निर्माण सामग्री के संसाधनों का विकास, औद्योगिक अवशिष्ट पदार्थों का उपभोग जैसे-इस्पात संयंत्रों से धातु मल, लकड़ी की रद्दी आदि, सामाजिक आर्थिक अनुसंधान, सूचना का प्रसारण जैसे अभिकल्पकों, वास्तुकों और भवन निर्माण क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों तथा सार्वजनिकों के लिए सूचनाएं एकत्र करना आदि हैं। इस प्रकार से यह संगठन पर्यावरणीय परिस्थितियों और उन्नत ग्रामीण मकानों से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान खोजने के कई कार्य करता है।

ग्रामीणों के लिए मकानों को यथासंभव कम लागत पर निर्माण करने की आवश्यकता तथा सीमेन्ट और इस्पात जैसी दुर्लभ सामग्रियों का उपयोग न करने की दृष्टि से स्थानीय सामग्रियों का उपभोग करने पर जोर दिया जा रहा है। ग्रामीण मकानों को अधिक स्वास्थ्यकर और रहने योग्य बनाने के लिए उनके उन्नत डिजाइन तैयार कराए गए हैं। निर्माण की नई तकनीकों और पद्धतियों को बढ़ावा दिया गया है जिससे मकानों को अधिक टिकाऊ बनाया जा सकता है। उन्हें प्राकृतिक विपदाओं और आग से बचाया जा सकता है।

भूमिहीन ग्रामीणों के लिए मकान

ग्रामीण गरीबों के लिए न्यूनतम आवास की संकल्पना के आधार पर एक विशिष्ट डिजाइन बनाया गया है। इसकी सीमित लागत को देखते हुए इसका राज्य सरकारों और अन्य आवास अभिकरणों द्वारा व्यापक रूप से स्वागत किया गया है।

यह डिजाइन 6 मी. x 13.7 मी. (100 वर्ग गज) आकार के भूखण्ड के उपयुक्त है। भूमिहीन ग्रामीण परिवारों को इसी आकार के भूखण्ड आबंटित किए गए हैं। ग्रामीण आवास के क्षेत्र में 20 वर्ग मीटर कुर्सी क्षेत्रफल के एक मकान को छः हजार से कम लागत में बनाने के लिए स्थानीय निर्माण सामग्रियों के उन्नत उपयोग को बढ़ावा दिया गया है।

इस आवास स्थान में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :-

कमरा	2.7 मी. x 4.1 मी.
रसोई के लिए ढका स्थान	1.5 मी. x 1.8 मी.
चबूतरा	1.75 मी. x 2.5 मी.

मकान के नक्शे में भविष्य में 4.5 x 2.5 मी. के एक और कमरे को बनाने की व्यवस्था है।

पीछे के आंगन में खुले स्थान के साथ-साथ एक गोशाला और 1.2 मी. x 0.9 मी. के एक अलग स्वच्छ देहाती शौचालय और कपड़े धोने के लिए चबूतरे की व्यवस्था की गई है। मकान के नक्शे में आगे का खुला स्थान बाहर रहने तथा घरेलु उद्योग लगाने के लिए है। स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार इस डिजाइन संकल्पना को मामूली-सी रद्दोबदल सहित बहुत से स्थानों पर अपनाया गया है। इसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है।

मिजोरम-जनजाति क्षेत्र

वर्ष 1981-82 में ग्राम फाल्कान, मिजोरम में कम लागत के 20 प्रदर्शनिक मकान समूह बनाए गए थे। इनमें से प्रत्येक आवास स्थान का कुर्सी क्षेत्रफल 25.50 वर्ग मीटर है और लागत केवल 4000 रु. है।

स्थानीय सामग्री - फटें बांस की दीवारें और सी.जी. आई. चादर की छतों वाले मकान ग्राम नेगी चेरी, त्रिपुरा उनकारिया, उड़ीसा और मध्य प्रदेश की जनजातियों के लिए तैयार किए जा रहे हैं। त्रिपुरा में गारे की दीवार बनाई गई है।

पंजाब-मैदानी क्षेत्र

ग्राम सोंककलां में 17.14 वर्ग मी. कुर्सी क्षेत्र के मकान बनाए गए हैं। एक मकान की लगत 3250 रु. है।

स्थानीय सामग्री - ईंट गारे की दीवारें और ब्रिक टाईल की छत पंजाब के भूमिहीन गरीबों के लिए 27000 से अधिक और हरियाणा में ग्रामीण जनता योजना के अन्तर्गत 30000 से भी अधिक मकानों का उपरोक्त विधि से निर्माण किया गया है। दिल्ली में ईंट गारे की दीवारें और पत्थर की टुकड़ी की छत डालकर 1976-77 में 3393 रुपये प्रति आवास मूल्य के 10 मकान बनाए गए थे।

राजस्थान रेतीले क्षेत्र

जिला जोधपुर के ग्राम नादराकलां में कम लागत के 20 मकानों का एक समूह प्रदर्शनार्थ बनाया गया। प्रत्येक आवास का कुर्सी क्षेत्र 21.65 वर्ग मीटर और लागत 3090 रुपये हैं।

स्थानीय सामग्री - मिट्टी के साथ पत्थर की चिनाई और पत्थर स्लैब की छत।

राजस्थान सरकार इस डिजाइन को गरीब का छप्पर नामक एक योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित कर रही है। अब तक 41013 मकानों का निर्माण किया जा चुका है। ऋण योजना के अन्तर्गत बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र और आदिवासियों के लिए 6429 मकानों का निर्माण किया जा चुका है। कहीं-कहीं चूने के साथ भी पत्थर की चिनाई की गई है।

तटीय क्षेत्र

पांडिचेरी में 25.39 वर्ग मीटर कुर्सी क्षेत्रफल के मकान बनाए गए हैं। इनमें से प्रत्येक की लागत 3700 रु. है।

स्थानीय सामग्री - ईंट गारे की दीवारें और मंगलौरी टाइलों की छत कहीं-कहीं पत्थर की चिनाई भी की गई है। आन्ध्र प्रदेश, केरल और गोवा में कमजोर वर्ग के लिए 75000 से अधिक मकान बनाए जा चुके हैं।

जम्मू-कश्मीर

ग्राम पालयोरा, सोपियान और हारवान में बनाए गए मकान समूह में से प्रत्येक 32.33 वर्ग मी. कुर्सी क्षेत्र पर है। इनमें से प्रत्येक की लागत 3850 रु. है।

स्थानीय सामग्री : गारे और कच्ची ईंटों की दीवारें और असफाल्टिक चादरों की छत राज्य सरकार ने सोपियन, जिला अनन्तनाग, हाखान जिला बारमूला, पहलगांव, ऊधमपुर, जम्मू आदि की जनता के लिए मकानों की व्यवस्था करने में काफी दिलचस्पी ली है।

असम-भूकम्प से प्रभावित क्षेत्र

ग्राम कहबरतपारा, जिला कामरूप में बनाए गए 20 वर्ग मी. कुर्सी क्षेत्रफल के मकान समूह में से प्रत्येक की लागत 2700 रु. है।

स्थानीय सामग्री : बांसफट्टियों की दीवारें और एस्बेटस चादर की छतें। राज्य सरकार ने जनता आवास योजना के अन्तर्गत 2326 मकानों का निर्माण कराया है।

उड़ीसा-बाढ़ प्रभावित क्षेत्र

ग्राम पिपनी, जिला पुरी में 21 वर्ग मीटर कुर्सी क्षेत्र के मकान समूह में से प्रत्येक की लागत 3300 रु. है।

स्थानीय सामग्री : पत्थर स्तम्भों के साथ मिट्टी की दीवारें, मंगलौरी टाइल्ज की छत इस आवास योजना को बड़ी जगना, जिला कटक रामगुड़ा, जिला बरहामपुर आदि में क्रियान्वित किया जा रहा है।

अंडमान-निकोबार द्वीप समूह

अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए लगभग 12000 रु. की लागत से 1000 मकानों के निर्माण का प्रस्ताव है।

स्थानीय सामग्री : लकड़ी के खम्बों पर तख्तों से मकान का निर्माण और ए.सी. शीट्स की छत।

इस प्रकार से ग्रामीणों को अपनी आवासीय परिस्थितियों में सुधार लाने के प्रति प्रेरित करने की दृष्टि से पर्यावरणीय सुधारों सहित कम लागत के ग्रामीण मकानों का निर्माण किया जा रहा है। देश के विभिन्न जलवायु वाले क्षेत्रों के उपयुक्त स्थानीय सामग्रियों तथा कौशल की अधिकतम उपयोग करते हुए मकानों को अधिक टिकाऊ और रहने योग्य आधार पर अभिकल्पित किया गया है। मात्र 5500 रु. से भी कम लागत पर निजी सहायता से 17 से 20 वर्गमीटर कुर्सी क्षेत्रफल के मकानों पर जोर दिया गया है। पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में से भी एक आवास पर लागत को 7500 रु. तक सीमित रखा है।

इन आवासीय परियोजनाओं में कम लागत पर पर्यावरणीय सुधार, जैसे-सड़कें पक्की करना, स्वच्छ शौचालय, पीने के पानी और सामुदायिक सुविधाओं आदि की व्यवस्था की गई है।

प्रदर्शनार्थ आवास

देश के विभिन्न राज्यों के कुछ चुने हुए गांवों में कम लागत के मकान समूह जनता में प्रदर्शनार्थ बनाए गए हैं। ये मकान विशिष्ट डिजाइन की संकल्पना पर आधारित हैं।

प्रदर्शनार्थ बनाए गए मकानों के निर्माण के निम्न उद्देश्य हैं :-

1. ग्रामीणों को रहने वालों की कार्यात्मक सुविधा के अनुसार, मकानों का उचित योजनाबद्ध पद्धति से अवगत कराना।
2. निर्माण की गई और उन्नत तकनीकों से परिचित कराना।
3. स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों के प्रयोग का प्रदर्शन करना, जिससे सीमेन्ट, इस्पात और लकड़ी जैसी महगी और दुर्लभ सामग्रियों की खपत से बचा जा सके।
4. स्वच्छ वातावरण पैदा करने की आवश्यकता से परिचित कराना। अब तक कम लागत के ग्रामीण मकानों के 72 समूह से अधिक बनाए जा चुके हैं। प्रत्येक समूह में 10-20 मकान हैं।

विस्तार कार्य

लोगों को निर्माण के विभिन्न पहलुओं जैसे अधिक टिकाऊ मकान बनाना, नई निर्माण तकनीकों और स्थानीय पदार्थों को अपनाने से कम लागत में मकान बनाने के सम्बन्ध में जानकारी देने के लिए गावों में ऐसे स्थानों पर जहां अधिक ग्रामीण जनता हो, प्रदर्शनियां भी आयोजित की जाती हैं। इनका आयोजन कृषि विश्वाविद्यालयों, किसान मेलों और इसी प्रकार के अन्य उत्सवों में किया जाता है। ग्रामीण अग्निरोधी और जलसहयता उपचार विधियों को बड़ी रुचि से समझने का प्रयास करते हैं। जनता में प्रचार के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम रेडियो और दूरदर्शन पर भी प्रसारित किए जाते हैं। इतना ही नहीं सरकार द्वारा नई तकनीक की सामग्रियों के प्रयोग के लिए-100% लागत भी दी जाती है। नई तकनीकी के प्रयोग के असफल रहने पर सरकार पूरी लागत वहन करती है। नई तकनीकी के सन्तोषजनक पाए जाने पर उसका व्यापक प्रचार किया जाता है। अभी तक भारत सरकार द्वारा 41 पारियोजनाएं स्वीकार की गई हैं जिनमें से 12 निर्माण के विभिन्न स्तरों पर हैं।

ग्रामीण आवास के आधार पर महात्मा गांधी के आदर्श भारतीय गांव के स्वप्न को साकार करने का प्रयास किया जा रहा है। घर केवल गर्मी-सर्दी या वर्षा में आश्रय लेने के लिए ही नहीं है अपितु मानव के व्यक्तित्व के विकास का भी प्रतीक है।

72, एस.एफ. एस. फ्लैट्स
गौतम नगर, नई दिल्ली
पिन-110016

लम्बी अवधि की ग्रामीण आवास नीति

श्रीमती गंगा मूर्ति

भोजन और वस्त्र के बाद आवास जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में साफ-साफ कहा गया है कि लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में भोजन और वस्त्र के बाद मकान का स्थान है। सभ्य और स्वस्थ जीवन के लिये आवास का न्यूनतम स्तर निर्धारित करना अनिवार्य है। हमारे देश के निर्धन समाज में आवास के विकास को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि हमारे यहां आवास सुविधाएं अन्तर्राष्ट्रीय रूप में स्वीकृत स्तर से काफी नीचे हैं।

'आवास' शब्द के अर्थ के बारे में एक सामान्य चेतना दिखायी नहीं देती है। अपने व्यापक अर्थ में आवास आश्रय से बहुत अधिक है। आवास में सेवाओं और सुविधाओं से सम्बद्ध वह नेटवर्क शामिल हैं जो जीवन को सार्थक एवं आरामदायक बनाने के लिये आवश्यक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार-"इसका अर्थ है रिहायश का उपयुक्त माहौल, पास पड़ोस, मनुष्य के आश्रय के लिये उपयुक्त भौतिक संरचना जिसमें परिवार और व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक साधन, सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध हों।"

इस प्रकार उन सब सुविधाओं को 'आवास' कहा जा सकता है जो व्यक्ति और उसके परिवार को बड़े स्तर पर समुदाय के साथ जोड़ती हैं। आवास की सामाजिक धारणा के बारे में 1975 में अन्तर- क्षेत्रीय सेमिनार हुआ था जिसमें यह बात दोहरायी गयी थी कि आवास का अर्थ मात्र भौतिक संरचना तक ही सीमित नहीं है। आवास के साथ वे सभी अनुषंगी और सामुदायिक सेवाएं जुड़ी हुई हैं जो मनुष्यों के लिए आवश्यक हैं। फिर भी प्रस्तुत लेख में 'आवास' का अर्थ निर्माण गतिविधियों तक सीमित कर दिया गया है, जहां आर्थिक गतिविधियों के अन्तर्गत आश्रय प्रदान करने की कोशिश की जाती है, जिससे विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध कराने और आय की संभावनायें बढ़ाने का प्रयास किया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में आवास समस्या का कारण

गांव में आवास की समस्याएं अनेक सामाजिक-आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुई हैं, जिनका सामना ग्रामीण समुदाय को करना पड़ता है। जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव, ग्रामीण गतिविधियों का जटिलतर होते जाना, बदलती हुई सामाजिक आवश्यकताओं के कारण गांव में रहने वाले लाखों लोगों के लिये बेहतर और अधिक संख्या में मकानों की आवश्यकता है। इसके अलावा जीवन स्तर में सुधार की आवश्यकता ने ग्रामीण आवास की समस्या को अधिक महत्ता प्रदान की है।

योजना और विकास

भारतीय योजनाओं के दौरान आवास गतिविधियों को सामान्य आर्थिक क्रियाकलापों के अंग रूप में देखा जाता रहा है। इसके अन्तर्गत आवास गतिविधियों को औद्योगिक विस्तार में सहायक समझा गया जिससे औद्योगिक भवनों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाने लगी तथा शहरों का व्यापक रूप से विस्तार हुआ। तंग बस्तियों को समाप्त करने और बेहतर मूलभूत सुविधाओं के प्रावधान की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे सामाजिक आवश्यकता के रूप में बढ़ती जनसंख्या की मूलभूत आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण घटक समझा गया। इसे ग्रामीण योजना का एक अंग माना गया। इस प्रकार भारतीय योजनाओं में आवास की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण आवास कार्यक्रम

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के लिये अनेक कार्यक्रम शुरू किये गये हैं। ये कार्यक्रम बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया कि वर्तमान स्थितियों का सामना किया जा सके तथा लाभकारी रोजगार प्रदान करके लोगों की आय बढ़ाने के उपाय किये जा सकें। गरीबी-उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रमों में आश्रय प्रदान करने और पीने के पानी तथा सफाई आदि की व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया।

बीस सूत्री कार्यक्रम

बीस सूत्री कार्यक्रम की घोषणा 1982 में की गई थी। 1986 में इसे संशोधित किया गया। यह कार्यक्रम गरीबी को समाप्त करने तथा पद दलित समाज की स्थिति में सुधार का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें विशेष ध्यान इस बात पर दिया जाता है कि कार्यक्रम का लाभ निर्धनतम व्यक्ति तक

पहुंचे ।

बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमिहीनों को बने बनाये मकानों का आबंटन तथा निर्माण में सहायता, शहरी तंग बस्तियों के वातावरण में सुधार और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये मकानों का निर्माण शामिल है । लोगों के लिये आवास योजना के लक्ष्यों में ग्रामीण निर्धनों को मकान के लिये जगह उपलब्ध कराना, मकान निर्माण के कार्यक्रमों का विस्तार, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिये आवास तथा कम लागत की भवन सामग्री का विकास शामिल है ।इस कार्यक्रम की उपलब्धियां इस प्रकार रहीं हैं:—

संख्या लाखों में

योजना	छठी योजना के दौरान उपलब्धियां (1980-85)	सातवीं योजना के दौरान उपलब्धियां (31.3.88 तक)
1. मकान के लिये प्लाटों का प्रावधान (परिवारों को)	54.33	26.44
2. निर्माण में सहायता (परिवारों की)	19.13	12.65
3. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिये (आवासीय इकाइयां)	8.27	4.85

इंदिरा आवास योजना

इंदिरा आवास योजना 1985-86 में शुरू की गयी । इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति के निर्धनतम लोगों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूरों के लिये आवासीय इकाइयों के निर्माण का काम किया जाता है । सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 10 लाख आवासीय इकाइयों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है । इस योजना के अंतर्गत 5 अरब 89 करोड़ 36 लाख रुपये की लागत से 5 लाख 78 हजार मकानों के निर्माण की मंजूरी दी गयी थी जिसमें से दिसम्बर 1988 तक 4 लाख 27 हजार मकान बनाये गये जिन पर 4 अरब 25 करोड़ 48 लाख रुपये की लागत आयी ।

जवाहर रोजगार योजना

जवाहर रोजगार योजना 1989-90 में शुरू की गयी है । इसके अन्तर्गत अत्यंत निर्धनता और बेरोजगारी वाले पिछड़े जिलों में प्रचुर रोजगार उपलब्ध कराये जायेंगे । इससे पहले चलाये गये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रमों को जवाहर रोजगार योजना में मिला दिया गया है । यह कार्यक्रम देश के 120 जिलों में चलाया जा रहा है । इसका उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक परिवार के एक सदस्य के लिये अकुशल रोजगार प्रदान करना है ।

समूह आवास योजना

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन आवास और निर्माण के बारे में तकनीकी अध्ययन करने वाली प्रमुख संस्था है । यह संगठन ग्रामीण आवास की समस्याओं के अध्ययन में संलग्न है । अपने क्षेत्रीय ग्रामीण अनुभागों के द्वारा यह संगठन स्थानीय तकनीकी समस्याओं के बारे में अनुसंधान करके विस्तार कार्यक्रम, प्रशिक्षण तथा नमूने के भवन-निर्माण कार्यक्रमों को बढ़ावा देता है । क्षेत्रीय ग्रामीण आवास अनुभागों ने देश के विभिन्न भागों में नमूने के तौर पर 91 सामूहिक आवासीय भवनों के निर्माण का कार्य हाथ में लिया है । इसके अन्तर्गत मकानों की डिजाइन इस तरह किया गया है कि वे अधिक समय तक बनें रहें तथा उनके निर्माण में अधिकतम स्थानीय कौशल और भवन सामग्री का इस्तेमाल हो सके ।

ग्रामीण आवास की समस्याएं

ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय इकाइयों के निर्माण में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है । इसमें मुख्य रूप से दो समस्याएं आती हैं—वित्तीय संसाधन जुटाना और कच्ची सामग्री की उपलब्धता जिसमें स्थल के विकास और उपयुक्त डिजाइन के चयन की समस्या भी शामिल है । विभिन्न क्षेत्रों के लिये उपयुक्त डिजाइनों का विकास तथा स्थानीय भवन सामग्री के परिष्कृत इस्तेमाल की विधियों की खोज आवश्यक है ।

संगठनात्मक सहायता

1. राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन-राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन का गठन 1954 में आवास और भवन निर्माण से संबंधित सभी तकनीकी मामलों में सलाह और समन्वय निकाय के रूप में किया गया था । यह संगठन भवन-निर्माण के नये और आधुनिक तरीकों के बारे में सूचनाएं एकत्रित करने और उन्हें सम्बद्ध लोगों तक पहुंचाने में संलग्न हैं । इसमें भवन-निर्माण में कम लागत तथा स्थानीय कच्ची सामग्री को सर्वाधिक उपयोग में लाने की पद्धतियां विकसित करने का लक्ष्य रहता है ।

पिछले तीन दशकों से राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन उपयुक्त क्षेत्रों में अनुसंधान कर रहा है और अपने अनुसंधान के परिणामों का लाभ स्थानीय लोगों तक पहुंचाता है। मिट्टी की दीवारों को वर्षा से बचाने के लिये जलरोधी मिट्टी के प्लस्तर के विकास के बारे में अनुसंधान किये गये हैं। इसके अलावा संगठन ने छप्परों में आग से होने वाली दुर्घटनाओं के उपाय तथा बांस से बने भवनों को अधिक टिकाऊ बनाने के उपायों के बारे में भी अनुसंधान किये हैं।

2. आवास और शहरी विकास निगम : इसकी स्थापना 1970 में हुई। इसके उद्देश्यों में शहरी विकास कार्यक्रमों तथा भवन-निर्माण के लिये धन प्रदान करना, नये और उपनगरीय आवासों की स्थापना तथा भवन निर्माण सामग्री से सम्बद्ध उद्योगों की स्थापना शामिल है। यह निगम आवास और शहरी विकास से सम्बद्ध कार्यक्रमों की योजना बनाने तथा सलाहकार सेवाएं प्रदान करने का काम भी करता है।

मार्च 1985 तक हुडको ने सभी राज्यों के 669 कस्बों तथा शहरों में 3587 योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की तथा 16 अरब 62 करोड़ रुपये की ऋण सहायता दी। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत 20 लाख रिहायशी इकाइयों, 1 लाख 73 हजार विकसित आवासीय भूखंडों, और अनेक दुकानों तथा व्यासायिक भवनों का निर्माण शामिल है।

अन्य संगठन

आवास गतिविधियों के विकास और उन्हें प्रोत्साहन देने वाले अन्य संगठनों में भारतीय जीवन बीमा निगम और सामान्य जीवन बीमा निगम शामिल हैं। ये संगठन सार्वजनिक क्षेत्र में सामाजिक आवासीय योजनाओं तथा आवास सहकारी समितियों, आवास विकास निगम, केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम जैसी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।

आवास की वर्तमान स्थिति

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुमान लगाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 1990 तक मकानों की कमी 2 करोड़ 23 लाख तक पहुंच जायेगी, जबकि 1981 में 1 करोड़ 60 लाख रिहायशी इकाइयों की कमी आंकी गयी थी। पिछले तीन दशकों की योजनाओं से पता चलता है कि आवास की कुल आवश्यकताओं पर ध्यान देने, और अपेक्षित संस्थागत सहायता जुटाने के बावजूद मकानों की संख्या में वृद्धि जनसंख्या वृद्धि के साथ तालमेल नहीं रख पायी है। जनसंख्या का बड़ा भाग अभी भी दयनीय स्थितियों में रह रहा है जहां लोगों का स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा है और मानवीय ऊर्जा व्यर्थ हो रही है।

यह समस्या अत्यंत जटिल है और इसका समाधान करने के लिये लम्बी अवधि को ध्यान में रखकर नीति बनायी जानी चाहिए, जिसके अन्तर्गत ग्रामवासियों को मकान प्रदान किये जा सकें और आवास निर्माण को लाभकारी आर्थिक गतिविधि के रूप में अपनाया जाये। वित्तीय सहायता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से आय के विषम वितरण को ठीक करना और उन लोगों को मकान प्रदान करना संभव हो सकेगा जो धन के अभाव में मकान नहीं बना पाते। इस प्रकार भवन-निर्माण गतिविधियों का प्रभाव धीरे-धीरे रोजगार, आय, उपभोगता उद्योगों में वृद्धि और बेहतर जीवन स्तर पर दिखायी देने लगेगा। इससे व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक समृद्धि पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

आवास कार्यक्रम को ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से जोड़ना होगा ताकि जल-आपूर्ति, पर्यावरण में सुधार, सफाई, सामाजिक वानिकी आदि क्षेत्रों में इस कार्यक्रम का लाभ उठाया जा सके तथा दूसरी ओर इसे औद्योगिकीकरण में सहायक बनाया जा सके। इसको मद्दे नजर रखते हुए हाल ही में कुछ कार्यक्रम शुरू किये गये हैं। इनमें एक है जवाहर रोजगार योजना। इसे पूर्ण कार्यक्रमों-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम-को मिला कर बनाया गया है। इसका प्रभाव बहुत ही व्यापक होगा। शहरी औद्योगिक केन्द्रों में प्रवास की वर्तमान प्रवृत्ति को बढ़ावा इसलिये मिल रहा है क्योंकि बहुत-सी पारिवारिक आवश्यकताएं गांव में पूरी नहीं हो पातीं। हाल ही में अनेक प्रेरणात्मक योजनाएं शुरू की गई हैं ताकि औद्योगिक गतिविधियों का गांवों में विकेन्द्रीकरण किया जा सके। गांव में जीवन की मूलभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, सम्पर्क सड़कें, कम से कम तक परिवार के एक सदस्य को सुनिश्चित रोजगार आदि प्रदान करके शहरों में प्रवास के आकर्षण को कम किया जा सकेगा। यह जवाहर रोजगार योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि इसमें न केवल गरीबी उन्मूलन का उद्देश्य रखा गया है बल्कि ग्रामीण निर्धनों को शहरी समाज द्वारा किये जाने वाले औद्योगिक शोषण से बचाने का भी प्रयास है।

अनुवाद : राधेश्याम भारद्वाज,
523, झाड़ौदाकलां,
नई दिल्ली-110072

मध्य प्रदेश में ग्रामीण आवास तथा रोजगार

डॉ. डी.पी.गर्ग

नवगठित मध्य प्रदेश भारत का हृदय है। यह क्षेत्र युगों-युगों से अपनी महान सांस्कृतिक परम्पराओं, अद्वितीय कलाकृतियों एवं अभिनव साहित्यिक स्वरों के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक जीवन में शुद्ध रक्त संचारित करता रहा है। यह आर्थिक दृष्टि से पर्याप्त सुदृढ़ है।

यह राष्ट्र का सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 4.52 लाख वर्ग किलो मीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 14.54 प्रतिशत है। यह उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश गुजरात तथा राजस्थान से घिरा हुआ है। प्रशासनिक दृष्टि से प्रदेश को 12 संभागों, 45 जिलों, 205 तहसीलों, 459 विकास खण्डों में विभक्त किया हुआ है।

मध्य प्रदेश की प्राकृतिक संरचना, स्थिति, जलवायु, वनस्पति को ध्यान में रखते हुए इसे 9 प्राकृतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं। मध्य प्रदेश में कुल भूमि के 1/3 भाग पर जंगल पाये जाते हैं। यह सम्पूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 23 प्रतिशत है। 1.56 प्रतिशत भूमि पर कृषि होती है। भारत के कुल क्षेत्र का 1/7 प्रतिशत भाग राज्य में है। इस प्रदेश में कृषि क्षेत्र में सिंचाई 14 प्रतिशत भाग पर ही होती है, जबकि राष्ट्रीय औसत 26 प्रतिशत है। राज्य के कुल कृषि क्षेत्र के 82 प्रतिशत भाग में खाद्यान्न तथा शेष 8 प्रतिशत क्षेत्र में अन्य उपजें होती हैं। 1981 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 5.21 करोड़ के लगभग है, जो देश के कुल जनसंख्या का 7.62 प्रतिशत है। प्रदेश की 81.76 प्रतिशत जनसंख्या 70 हजार से अधिक गांवों में निवास करती है। प्रदेश में अनुसूचित आदिम जातियों की संख्या 25.30 तथा अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 98.14 लाख है। प्रदेश में विभिन्नताओं का बोलबाला है।

आवास क्या है ?

आवास का पर्यायवाची शब्द है 'घर'। घर का अर्थ हिफाजत, अपनेपन, अपने हक की भावना के साथ है। एक देश की भावना जो घर के आंगन से ही शुरू होती है।

विश्व स्वास्थ्य समिति के प्रथम प्रतिवेदन के अनुसार "आवास वह भौतिक संरचना है जो मानव अपनी शरण हेतु उपयोग में लाता है। इस संरचना में उन समस्त आवश्यक सेवाओं, सुविधाओं, साज-सज्जा तथा उपकरणों को भी सम्मिलित किया जाता है, जो परिवार तथा व्यक्ति के भौतिक तथा मानसिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण के लिए आवश्यक या वांछनीय है। रोटी, कपड़ा और मकान प्रत्येक मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता है। मनुष्य के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक प्रसाधन उसके आवास में पनपते हैं एवं उनमें समन्वय स्थापित होता है। आवास सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक समस्या है, जिसका स्वरूप त्रिकोणी है। आवास एक आर्थिक गतिविधि भी है जो वृहद स्तर पर रोजगार का सृजन करती है। यहां इसे इसी रूप में उपयोग किया गया है।

आवास अभाव

आवास की समीक्षा करने से ज्ञात होता है कि 1981 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण आवास 70.7 लाख थे। इनमें 74.5% पक्के, 17.30% अर्द्ध पक्के, 4.9% मरम्मत योग्य कच्चे तथा 3.3 मरम्मत न करने योग्य कच्चे थे। यदि इस स्थिति का विश्लेषण अखिल भारतीय औसत स्तर से किया जाये तो ज्ञात होगा कि राज्य में पक्के मकान अधिक हैं। ये अखिल भारतीय स्तर (23%) के 3 गुने से भी अधिक हैं। अर्द्ध पक्के मकान कम हैं, क्योंकि अखिल भारतीय औसतन स्तर में ये 43% हैं। मरम्मत योग्य कच्चे मकान 23.4% तथा मरम्मत अयोग्य कच्चे मकान 0.2 प्रतिशत हैं। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की कमी है। यह कमी और बढ़ गयी है। गांवों के 10 व्यक्तियों में 7 दुर्बल घटक के हैं जिनके पास आवास नहीं हैं। यदि ग्रामीण अंचलों का सर्वेक्षण किया जाये तो ऐसे अनेक प्रकरण मिलेंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश मकानों में आवश्यक सेवाओं, सुविधाओं, साज सज्जा तथा उपकरणों की अत्यंत कमी है। अधिकांश मकान अत्यंत दयनीय स्थिति में हैं तथा उनके चारों ओर का वातावरण भी स्वास्थ्यप्रद नहीं है। कच्चे, छोटे-छोटे मकान, झोपड़ियां केवल नाममात्र के हैं। उनमें कैसे ग्रामवासी शरण लेता है यह वही जानता है। इन्हीं घरों में हमारे ग्रामीण बच्चे जन्म ले कर बढ़ रहे हैं। लाखों गरीब ऐसे हैं जो शताब्दियों से अपने मकान का स्वप्न संजो रहे हैं, लेकिन निराशा ही हाथ लगी है। यह सामाजिक,

आर्थिक, परिस्थितियों का परिणाम है।

सबको आवास-शासन की नीति

मध्य प्रदेश शासन ने इस समस्या के निवारण हेतु सकारात्मक नीति का निर्माण किया है। इसके परिणामस्वरूप स्थिति में सुधार हो रहा है। नवीन 20 सूत्री कार्यक्रम के 14 वें सूत्र के अन्तर्गत 'सबके लिए मकान' उपलब्ध कराने को वह दृढ़ संकल्प है। शासन ने ग्रामीण आवास, मुख्यतः दुर्बल घटकों हेतु उपलब्ध कराने के लिये नीति निर्मित की है। प्रेरणा सातवीं पंचवर्षीय योजना से ली है। इसमें बताया गया है कि :

"शासन के लिये यह उपयुक्त समय है, जबकि उसे आवास क्षेत्र हेतु स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना चाहिये तथा आवास के क्षेत्र की दिशा में सतत् प्रयास करना चाहिये, न केवल आवास निर्माण बल्कि आवासीय गतिविधियों को तटकर आपूर्ति तथा वित्तीय संरचना से प्रोत्साहित करना चाहिये जिससे प्रत्येक परिवार पर्याप्त आवास एक निश्चित अवधि में प्राप्त कर सके।"

सन् 1987 में राष्ट्रीय आवास नीति का निर्माण किया गया जिसमें गरीबों के लिये आवास की विशेष योजना है। इससे आवासहीनों को आवास प्राप्त हो रहा है। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के व्यक्तियों के लिये मकान निर्मित किये जा रहे हैं। व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवासों के निर्माण हेतु पर्याप्त प्रेरणा प्रदान की जा रही है।

मध्य प्रदेश की नवीन ग्रामीण आवास नीति (1988) के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में भूखण्ड उपलब्ध कराने के कार्य में गति लाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि 31.3.1990 तक समस्त भूमिहीन व्यक्तियों को भूखंड उपलब्ध कराये जायेंगे। आवास निर्माण के लिए अतिरिक्त वित्तीय साधन उपलब्ध कराये जायेंगे और विशेष रूप से ग्रामीण आवास की जो योजनाएं मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं, उन्हें और अधिक व्यापक बनाया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले शासकीय तथा स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारियों के स्वयं के मकान बनाने की योजना का विस्तार किया जायेगा। एक वर्ष की अवधि में इस सम्बन्ध में ऋण प्राप्त करने के लिये उनके आवेदन पत्रों का निराकरण कर दिया जायेगा।

मध्य प्रदेश शासन ग्रामीण आवास हेतु उपयुक्त नीति का अनुकरण कर रहा है। यह 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुरूप है। इस नीति के क्रियान्वयन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के आवास हेतु अनेक कार्यक्रम बनाये गये हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में आवास कार्यक्रम-विश्लेषण

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिये अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किये गये हैं। प्रदेश का ग्रामीण आवास मण्डल गांवों में आवासहीन परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य करता है तथा वातावरण सुधार हेतु कार्यरत है।

ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों हेतु

आवास भूखण्ड तथा निर्माण सहायता योजना को पांचवीं पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारंभ किया गया था। 1972 के सर्वेक्षण के अनुसार 9.13 लाख परिवारों को आवास भूखण्ड तथा सहायता देने हेतु चयन किया गया था। इसके अन्तर्गत 100 वर्ग गज का भूखण्ड मुफ्त दिया जाता है। 500 रुपये सहायता तथा 18 बल्ली और 50 बांस प्रत्येक को दिये जाते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में सहायता की राशि 500 रु. से बढ़ाकर 1500 रु. कर दी गयी। छठी पंचवर्षीय योजना तक 1.31 लाख परिवारों को भूखण्ड तथा 1.93 लाख को निर्माण सहायता दी गयी थी। सातवीं योजना में 2 लाख परिवारों को भूखण्ड तथा 2.02 लाख परिवारों को आवास निर्माण सहायता दी जायेगी।

इंदिरा आवास योजना

इसके अंतर्गत 20 मकानों का एक समूह बनाया गया है, जिसमें रहने का एक कमरा, एक बहुउद्देश्यी कमरा तथा एक रसोईघर है। मकान की लागत 10,200 रुपये है। सुविधायें संयुक्त रूप से उपलब्ध करायी जाती हैं। इन मकानों के निर्माण में स्थानीय कच्चा माल तथा श्रम उन परिवारों का होता है जो इनमें रहेंगे। इसके अन्तर्गत कच्चे मकान 10-12 वर्ष की अवधि के लिए तथा अर्द्ध पक्के मकान 30-40 वर्ष की अवधि के लिए बनाये जाते हैं। ये मकान भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाये जाते हैं। प्रदेश में इस योजना का श्रीगणेश सन् 1985-86 में हुआ।

इस योजना के अन्तर्गत 1990 तक देश में 10 लाख

आवास अनुसूचित तथा मुक्त बंधुआ श्रमिकों के हेतु निर्मित किये जायेंगे। गत दो वर्षों की अवधि में 3.7 लाख इकाइयां 365 लाख रुपये की लागत से स्वीकृत की जा चुकी हैं। लगभग 2 लाख मकान बन गये हैं तथा लाभगृहीता इनमें रह रहे हैं।

सहकारी ग्रामीण आवास योजना

कमजोर एवं दुर्बल वर्ग के कृषकों हेतु राज्य शासन की आर्थिक सहायता तथा हुडको के सहयोग से 20 हजार आवासों के निर्माण हेतु ऋण प्रदान करने की विशेष योजना म.प्र. राज्य सहकारी बैंक द्वारा संचालित की गयी है जिसे "ग्रामीण आवास योजना" के नाम से पुकारा जाता है। इस ऋण की पात्रता उन लघु एवं सीमान्त कृषकों को है जिनके पास स्वयं का कम से कम 20x20 फुट का भूखण्ड आवास निर्माण हेतु उपलब्ध होना चाहिये। प्रत्येक हितग्राही को 6000 रुपये की ऋण राशि आवास निर्माण हेतु उपलब्ध करायी जाती है। इसमें से 1500 रुपये राज्य शासन का अनुदान तथा शेष ऋण है। इस पर 9.5% ब्याज वसूल किया जाता है। ऋण की वापसी 9 वर्षों में करनी होती है। वर्षान्त 30 जून, 86 तक 19,914 कृषकों को 7.34 करोड़ रुपये के ऋण प्रदान किये गये। योजना के अन्तर्गत 18510 हितग्राहियों द्वारा आवासों के निर्माण का कार्य पूर्ण किया गया।

जिन गांवों में 10 से अधिक शासकीय कर्मचारी रहते हैं वे सहकारी आवास संस्था बनाकर स्वयं आवास निर्माण हेतु ऋण प्राप्त करते हैं।

रोजगार सृजन स्थिति-अध्ययन

आवास कार्यक्रम के परिणामस्वरूप ग्रामीण रोजगार का सृजन होता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों को प्रमुख रूप से अकुशलों को अत्यधिक रोजगार मिलता है। एक अनुमान के अनुसार 1 लाख रुपये के आवास निर्माण में 2765 मानव दिवस का कुशल रोजगार तथा 5450 दिन का अकुशल रोजगार प्राप्त होता है। इसके परिणामस्वरूप सहायक उद्योग जैसे ईंट निर्माण तथा यातायात इत्यादि भी विकसित होते हैं।

आवास निर्माण में श्रम औसतन संख्या निम्न प्रकार होती है :

आवास निर्माण में श्रम औसतन संख्या

	श्रम	स्वयं सहायता	कुल	श्रम प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.
1. पक्का	181	124	305	40.7
2. अर्द्ध पक्का	102	130	232	56.0
3. कच्चा	50	100	150	66.7

आवास निर्माण गतिविधियों की स्थिति का पता लगाने हेतु राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठन ने एक सर्वेक्षण किया था। इसमें 9009 गांवों को चुना गया था। उसमें मध्य प्रदेश के 720 गांवों को सम्मिलित किया गया था। पक्के, अर्द्ध पक्के एवं कच्चे तीन प्रकार के मकानों के सम्बन्ध में कुल लागत में से श्रम लागत मध्य प्रदेश में क्रमशः पक्के मकानों में 31.55% अर्द्ध पक्के में 35.09% तथा कच्चे मकानों में 41.06% होती है। मध्य प्रदेश में औसतन जमीन क्षेत्रफल केअनुसार विभिन्न प्रकार के श्रमिक रोजगार की स्थिति निम्न प्रकार अनुमानित की गयी है :—

म.प्र. में विभिन्न आवासों में जमीन क्षेत्रफल :

श्रम स्थिति अनुमान

मकान का प्रकार	वर्गमीटर	कुशल	अकुशल	कुल
1.पक्का	35.4	99	206	305
2. अर्द्ध पक्का	43.1	36	196	
3. कच्चा	30.1	13	137	150

प्रति इकाई भवन निर्माण पर जो श्रम लगाया जाता है वह अखिल भारतीय वास से अधिक है। उपरोक्त आवास निर्माण हेतु रोजगार मानव दिवस क्रमशः 254, 154 तथा 68 हैं। अतः उपरोक्त से स्थिति स्पष्ट हो जाती है। अकुशल श्रमिक प्रति कुशल श्रमिक के हिसाब से पक्के मकानों में 2.1, अर्द्ध पक्के में 5.4 तथा कच्चे में 10.5 होता है।

रोजगार प्रकार

आवास निर्माण के परिणामस्वरूप तीन प्रकार का रोजगार मिलता है :

1. प्रत्यक्ष रोजगार:— इससे आशय उस रोजगार से है जो कि आवास निर्माण के समय भूखण्ड पर प्राप्त होता है। 10 लाख

रुपये का विनियोग ग्रामीण आवास में करने से (1983-84 मूल्य आधार वर्ष) पक्के, अर्द्ध पक्के तथा कच्चे आवास निर्माण में 52 मानव वर्ष, 80 मानव वर्ष तथा 131 मानव वर्ष का प्रत्यक्ष रोजगार मिलता है।

2. अप्रत्यक्ष रोजगार:– आवास निर्माण के दौरान सेवाओं तथा सुविधाओं जैसे जलपूर्ति, दवाखाना तथा बिजली इत्यादि की आपूर्ति हेतु जो रोजगार उपलब्ध होता है वह अप्रत्यक्ष रोजगार कहलाता है। इसके रोजगार पर आवास निर्माण में उपयोग की जाने वाली तकनीक तथा आवास निर्माण संरचना का प्रभाव पड़ता है। ग्रामों में ऐसे आवासों का निर्माण हो रहा है जिसमें मानव श्रम अधिक चाहिये। ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष रोजगार प्रत्यक्ष रोजगार का 1.6 गुना पक्के, 1.1 गुना अर्द्ध पक्के तथा .9 गुना कच्चे मकान में प्राप्त होता है।

ग्रामीण आवास के परिणामस्वरूप जनजाति तथा अनुसूचित जनजातियों के पुरुषों तथा महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत इस दिशा में प्रशंसनीय प्रगति हुई है।

3. स्वयं सहायता श्रम :– भवन निर्माण में स्वयं सहायता श्रम का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इस श्रम की लागत विभिन्न प्रकार के भवन निर्माण में ज्ञात की गयी है। यह 6.6% पक्के, 13.0% अर्द्ध पक्के तथा 24.0% कच्चे भवन के सम्बन्ध में आंकी गयी है। अखिल भारतीय स्तर पर स्वयं सहायता श्रम 4.6% 11.4% तथा 17.8% क्रमशः पक्के अर्द्ध पक्के तथा कच्चे मकान के संदर्भ में आती हैं। अतः मध्य प्रदेश में स्वयं सहायता श्रम की मात्रा भारतीय स्तर से अधिक है।

राष्ट्रीय बिल्डिंग संगठन ने मध्य प्रदेश के 6 गांवों का सर्वेक्षण किया तथा उससे पता चला कि ग्रामीण आवास से रोजगार के अवसर बढ़े हैं। इससे ग्रामीणों के रहन सहन के स्तर में सुधार हुआ है। उनकी आय में वृद्धि हुई है। रोजगार के अवसरों में और अधिक वृद्धि हो सकती है।

सुझाव

ग्रामीण आवास के परिणामस्वरूप अधिक रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिये निम्न सुझाव हैं :–

1. टिकाऊ कच्चे मकान तथा अर्द्ध पक्के मकान अधिक बनाये जायें इससे अकुशल श्रमिकों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।

2. स्थानीय भवन हेतु निर्माण सामग्री उत्पादन इकाइयां स्थापित की जाएं तथा उसका उपयोग हो। इससे रोजगार बढ़ेगा।

3. उपयुक्त तकनीकी जो स्थानीय माल पर आधारित हो, मकान निर्माण के उपयोग में लायी जाये। इससे लुहार, सुनार, मिस्त्री को रोजगार मिलेगा। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय आवास संगठन तथा संभागीय कार्यालयों ने जो कार्य किया है, उसका उपयोग हो।

4. रोजगार तथा आवास का अध्ययन कर स्थिति का पता लगाया जाये।

5. ग्रामीण आवास के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिये सहकारी समितियों को अपने कार्यक्षेत्र में सर्वेक्षण करना चाहिये तथा सहकारी आवास योजना के अन्तर्गत पात्र-ग्रहीताओं को ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में आवश्यक सहयोग तथा परामर्श भी देने की व्यवस्था होनी चाहिये।

6. कम लागत के मकान स्वयं श्रम सहायता से अधिकाधिक निर्मित हों ऐसी व्यवस्था प्रत्येक समिति करे। जिला सहकारी बैंकों को इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

7. इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकान उचित समयावधि में निर्मित हों तथा उनका वितरण उन्हीं व्यक्तियों को किया जाये जिससे रोजगार के अवसरों में तो वृद्धि हो, लेकिन 'घरों' का स्वप्न भी पूरा हो सके।

उपसंहार

मध्य प्रदेश के ग्रामीण अचलों में आवास निर्माण की गति मन्द है। दुर्बल घटक के वर्गों हेतु 'घर' सही अभिप्राय में निर्मित किया जाना एक सामाजिक तथा आर्थिक समस्या है। इसका प्रत्येक जिले तथा विकास खण्ड स्तर पर सर्वेक्षण करना चाहिये। 'ग्रामीण आवास निर्माण' वर्ष मनाया जाये। समाज के दुर्बल घटक को रोटी, कपड़ा तथा मकान में से 'मकान' पूर्ण में दिलाने के लिये म.प्र. शासन की नवीन नीति अत्यंत सामयिक है। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान रोजगार की स्थिति में और अधिक वृद्धि होगी। इस दिशा में सतत् प्रयास किये जाने चाहिये।

प्राचार्य
सहकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय,
किला, इन्दौर, मध्य प्रदेश

ग्रामीण आवास : ग्रामीण विकास

डा. मुन्नी लाल विश्वकर्मा

मानव की तीन मूलभूत आवश्यकताओं—रोटी, कपड़ा और मकान में से कौन-सी आवयकता बड़ी और कौन-सी छोटी है, निश्चित करना बहुत ही कठिन है। समय, काल और परिस्थिति के अनुसार इन तीनों का अपना-अपना स्थान और महत्व है। विगत दो दशकों (1961-70 और 1971-80) से राष्ट्रीय आय में आवासीय क्षेत्रों का हिस्सा मात्र 3-4 प्रतिशत के बीच है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास सिर्फ उपभोग का ही परिणाम नहीं है अपितु आवास से मानव जीवन की गुणवत्ता, मजदूरों, श्रमिकों एवं ग्रामीणों की उत्पादकता में सुधार होता है, यह उत्पादन में सहायक एवं सामाजिक—आर्थिक तथा सांस्कृतिक वातावरण से सर्वाधिक प्रभावित होता है।

विगत दशकों में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, औद्योगिक प्रगति और शहरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण भूमि की अनुपलब्धता एवं मकान निर्माण की सामग्री के मूल्यों में हुई बेतहाशा वृद्धि ने देश में आवास की समस्या को बहुत गम्भीर बना दिया है। आवास की समस्या शहरों में ही नहीं अपितु ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत जटिल होती जा रही है। सन् 1951 में देश की कुल ग्रामीण आबादी 29.80 करोड़ थी जो बढ़कर सन् 1961 में 36 करोड़, 1971 में 43.9 करोड़ और 1981 में 52.5 करोड़ हो गई। यदि हम 1951 एवं 1981 की तुलना करें तो पाते हैं कि इन तीन दशकों में ग्रामीण क्षेत्र में 22.7 करोड़ आबादी और जुट गयी है। यदि ग्रामीण जनसंख्या इसी तरह बढ़ती रही तो विगत वर्षों में देश के ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या की समस्या और गम्भीर रूप धारण कर सकती है।

वस्तुतः बढ़ती हुई ग्रामीण आबादी और आवास समस्या में प्रत्यक्ष सम्बन्ध है क्योंकि ग्रामीण आबादी में वृद्धि और टूटते संयुक्त परिवारों के कारण जिस अनुपात में आवास की मांग में वृद्धि हो रही है, उस अनुपात में आवासों की पूर्ति करना सम्भव नहीं है।

ग्रामीण आवास की समस्या का वर्तमान स्वरूप

राष्ट्रीय भवन संगठन के आंकड़ों के अनुसार सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के प्रारम्भ में देश में 2.47 करोड़ रिहायशी मकानों की आवश्यकता थी जो इस शताब्दी के अन्त तक, बढ़कर 3.91 करोड़ तक पहुंच जाने की सम्भावना है। उक्त 2.47 करोड़ में से 1.88 करोड़ मकानों की कमी का ग्रामीण क्षेत्रों में अनुमान लगाया गया है।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने बहुत पहले ही आगाह किया था कि भारत जैसे बड़ी जनसंख्या वाले देश को आवास की पहले से ही बदतर स्थिति को और बदतर होने से बचाने के लिए प्रति एक हजार व्यक्तियों के पीछे 8 से 10 मकानों का निर्माण करना होगा। इसके बावजूद हमारी आवास निर्माण प्रगति की दर कितनी धीमी रही है इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि सन् 1971 तक देश में प्रति एक हजार जनसंख्या के पीछे मात्र 3 मकानों का ही निर्माण हो पाया। लेकिन विगत वर्षों में सुधार के बावजूद निर्माण की दर 4 मकान प्रति हजार व्यक्ति से अधिक नहीं पहुंच पायी है।

ग्रामीण आवास की कमी के कारण

भारत में ग्रामीण आवासीय कार्यक्रमों की कमी एवं उसकी धीमी प्रगति का प्रधान कारण विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में आवास को राष्ट्रीय स्तर पर उचित निवेश का समर्थन नहीं मिलना है। वैसे ग्रामीण आवास की कमी के दो पहलू हैं :— प्रथम : विगत कई वर्षों से आवास निर्माण की सुस्त दर और मौजूदा आवासीय इकाइयों का बदतर होना है। द्वितीय : ग्रामीण आवासों में आवश्यक सेवाओं जैसे पानी, बिजली, पानी निकासी आदि सेवाओं का अभाव है और वे पर्यावरण की दृष्टि से खराब परिस्थितियों की मार से त्रस्त हैं।

हमारे देश में ग्रामीण आवास योजना अभी भी उपेक्षित अवस्था में पड़ी है। हालांकि आज से इक्कीस वर्ष पूर्व सन 1968 में ही योजना निर्माताओं द्वारा ग्रामीण आवास को महत्वपूर्ण सामाजिक पहलू के रूप में स्वीकार किया गया था, लेकिन इसके बाद विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण आवास समस्या का सही-सही मूल्यांकन नहीं किया गया।

ग्रामीण आवास मांग और पूर्ति में असन्तुलन

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन ने 1981 की जनगणना के

आवास मुहैया कराने में निम्नलिखित सुझाव सहायक सिद्ध होंगे :—

1. ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु तत्काल और अधिक प्रभावशाली कदम उठाया जाना चाहिए।

2. ग्रामीण आवासीय निर्माण के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

3. कम लागत वाले आवासीय कार्यक्रमों का विस्तार किया जाना चाहिए।

4. ग्रामीण आवासों के निर्माण में स्थानीय तौर पर उपलब्ध आवास निर्माण सामग्री का ही उपयोग किया जाना चाहिए।

5. बैंकों को न्यूनतम ब्याज की दर पर आवास बनाने हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

6. आवास निर्माण सामग्री के बढ़ते मूल्यों पर तत्काल नियंत्रण लगाया जाना चाहिए।

7. सरकार द्वारा आगामी आठवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण आवास हेतु अधिक से अधिक धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए तथा इसे ग्राम पंचायतों के जिम्मे सौंप देना चाहिए।

8. ग्रामीण आवासीय योजनाओं के लिए विश्व बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से सम्पर्क किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि यदि सरकार वास्तव में सभी बेघर ग्रामीणों को आवास की सुविधा मुहैया कराना चाहती है तो ग्रामीण आवास कार्यक्रम को तत्काल समग्र ग्रामीण विकास योजनाओं का एक अनिवार्य अंग घोषित कर देना चाहिए ताकि गांव की जनता इसमें सहभागिता कर सके एवं इसका समुचित लाभ उठा सके अन्यथा सभी बेघर ग्रामीणों को आवास उपलब्ध कराने का संकल्प एक दिन स्वप्न ही सिद्ध होगा।

प्राध्यापक अर्थशास्त्र,
सी 18/54 माताकुण्ड, वाराणसी

देश हमारा

आशा शुक्ला

यह हमको प्राणों से प्यारा।
भारत प्यारा देश हमारा।।

सबको अपने गले लगाता,
विश्व-प्रेम का पाठ पढ़ाता,
सुख-समृद्धि के गीत सुनाता,
यह सारी दुनिया से न्यारा।

आपस में सब भाई-भाई
सबने इसकी कीर्ति बढ़ाई
हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई,
सभी एक हैं इसका नारा।

वीर शहीदों की संतानें,
गाते हैं बलिदानी गाने,
संकट में केसरिया बाने,
पहन फूल बनता अंगारा।

सदा सुरक्षित हैं सीमाएं,
शत्रु न बचकर जाने पाएं,
विश्वविदित इसकी गाथाएं
जो इससे टकराया, हारा।

गंज मुरादाबाद,
उन्नाव,
(उ.प्र.) 241502

उत्तर प्रदेश में निर्बल वर्ग हेतु आवास सुविधाएं

डा. राजेश्वरी त्रिपाठी

सदियों की गुलामी की जकड़न से मुक्त भारत को तीव्र सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की आवश्यकता है। ऐसे रीति रिवाजों, परम्पराओं एवं अभ्यासों को समाज से समाप्त करना है जिनका कि स्वतंत्र भारत में अब कोई महत्व नहीं रह गया है। इसी प्रकार आर्थिक क्षेत्र में तीव्र गति से प्रगति करनी है। हमें जनता को सामाजिक व आर्थिक न्याय प्रदान करना है। यह कार्य सरकार व जनता दोनों द्वारा सम्पन्न किये जाने हैं। सरकार की ओर से महत्वपूर्ण भूमिका अधिकारी तंत्र द्वारा निभायी जाती है। अधिकारीगण नीति निर्माण से संबंधित प्रत्येक कार्य की पृष्ठभूमि को तैयार करते हैं। इसी प्रकार सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन लाने में नीति निर्धारण, बजट निर्माण और नीति के क्रियान्वयन की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। इन नीति निर्माण कार्यों के अंतर्गत सरकार कल्याणकारी कार्यों को बढ़ावा देती है ताकि आर्थिक व सामाजिक न्याय में प्रगति हो सके। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि रोटी, कपड़ा व मकान की सुविधा हर व्यक्ति के लिए समान हो। इस समानता व स्वतंत्रता को बनाये रखने के लिये सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गयी हैं जिनके अंतर्गत हर वर्ग के व्यक्ति के विकास के लिये नीति निर्माण व बजट का प्रावधान किया गया है।

भारत की लगभग आधी जनता गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करती है, जिसमें नगर में रहने वाले निर्धन और गांव में रहने वाले निर्धन दोनों सम्मलित हैं। सरकार यह जानती है जब तक देश से गरीबी नहीं हटायी जायेगी देश को राष्ट्रों के समुदाय में सम्मानजनक स्थान नहीं मिल पायेगा। नये संकल्प के रूप में गरीबी उन्मूलन के लिये पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सशक्त बनाना, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सफाई की बेहतर व्यवस्था, आवास व पेयजल की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त बीस सूत्री कार्यक्रम लागू किया गया। भूमि हदबन्दी और भूमि आबंटन, न्यूनतम मजदूरी बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास, पेयजल व्यवस्था, आवास स्थल एवं आवास निर्माण, गंदी बस्ती व पर्यावरण सुधार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिये गृह निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, वृक्षारोपण, परिवार नियोजन, ग्रामीण एवं लघु उद्योग आदि कार्यक्रम भी शुरू किए गए। उपरोक्त बीस सूत्री कार्यक्रमों में आवास निर्माण व्यवस्था को ही अध्ययन के लिए चुना गया है।

निर्बल वर्ग आवास योजना

ग्रामीण क्षेत्र में निर्बल वर्ग के साधनहीन परिवारों के लिये आवास सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में कई आवास योजनायें चल रही हैं। निर्बल वर्ग आवास योजना वर्ष 1979-80 से चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत चयनित परिवारों को आवास की कुल लागत का ¾-मैदानी क्षेत्र में 2,000 रु. तथा पर्वतीय क्षेत्र में 3,000 रु.-तक वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जाती है। चयनित परिवारों में 80 प्रतिशत अनुसूचित जाति, जनजाति के परिवारों के लिये आरक्षित रखे जाते हैं।

लाभार्थियों का चयन समय-समय पर ग्राम सभा की आयोजित बैठक में प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। पहली प्राथमिकता में अनुसूचित जाति, जनजाति के ग्राम सभा के स्थाई निवासी, कृषि श्रमिक और ऐसे लोग, जिनके पास मजदूरी के अलावा आय के अन्य कोई स्रोत नहीं हैं, चयनित किये जाते हैं। दूसरी ओर अन्य जातियों के ऐसे परिवार, जिनकी मजदूरी के अतिरिक्त अन्य कोई आय नहीं होती है, लिये जाते हैं। जिन परिवारों को आवास स्थल आबंटित किये जाते हैं, उनका चयन प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है।

बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित आवास वर्ष 1982-87 तक

क्र.सं.	वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1.	1982-83	70.0	151.1	215.9
2.	1983-84	60.0	96.9	161.5
3.	1984-85	50.0	87.3	174.6

4.	1985-86	40.0	88.7	221.8
5.	1986-87	50.0	88.8	176.8

स्रोत -ग्रामीण जीवन में गुणात्मक सुधार, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ.प्र. पृष्ठ संख्या 12

आवास निर्माण में सहायता वर्ष 1982-87

क्र.सं.	वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1.	1982-83	17.0	18.2	107.1
2.	1983-84	15.0	13.4	89.1
3.	1984-85	15.0	13.7	91.3
4.	1985-86	18.0	24.8	137.8
5.	1986-87	28.8	31.2	108.3

स्रोत : उपरोक्त

इस योजना के अंतर्गत वर्ष 1979-80 से वर्ष 1985-86 के अंत तक 1,13,650 आवासीय भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। वर्ष 1986-87 में निर्बल वर्ग आवास योजना के अंतर्गत 240 हजार आवासों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 31 मार्च 1987 तक 24.4 हजार आवासों का निर्माण कराया जा चुका था।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद भी आवासहीनों को आवास सुविधा देने की दिशा में 17 नवम्बर 1986 से सक्रिय है। परिषद ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन कृषकों, मजदूरों, शिल्पकारों आदि को आसान किस्तों पर ऋण देने की योजना तैयार कर रही है। भूमिहीन कृषकों तथा ढाई एकड़ जोत तक के किसानों को (वार्षिक आय सीमा 8400 रु.) छः हजार रुपये का ऋण 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर दिया जा रहा है। 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिये जाने का प्रावधान है। ढाई से 7.7 एकड़ तक जोत वाले लोगों को (वार्षिक आय सीमा 8401 रुपये से 12,500 रुपये) 11 प्रतिशत वार्षिक दर पर 18,000 रुपये का ऋण दिया जायेगा। इसके आगे 7.5 एकड़ से 12 एकड़ तक की जोत वालों को वार्षिक आय सीमा 12,501 रु. से 20,000 रु. मध्यम आय वर्ग में रखकर 11 प्रतिशत ब्याज दर पर 25 हजार रु. तक का ऋण दिये जाने का प्रावधान है।

यह ग्रामीण आवास ऋण योजना सम्प्रति प्रदेश के 25 जनपदों में लागू हैं। ये जिले हैं – लखनऊ, रायबरेली, वाराणसी, मिर्जापुर, फैजाबाद, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, इटावा, आगरा, मैनपुरी, गाजियाबाद, बरेली, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, रामपुर, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल, देहरादून, झाँसी, गोरखपुर, आजमगढ़, देवरिया तथा बस्ती।

उल्लेखनीय है कि आवास स्थल आबंटन तथा आवास निर्माण हेतु सहायता बीस सूत्री कार्यक्रम का एक प्रमुख अंग रहा है और इसमें प्रदेश ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की हैं, जिन्हें तालिका संख्या 1 में अंकित किया गया है।

अब हम देखेंगे कि सरकार द्वारा आवास निर्माण योजना हेतु जो धन वितरण किया जा रहा है उसका उचित प्रयोग हो रहा है या नहीं। समाज में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। अनुदान देते समय यह ध्यान देना आवश्यक है कि जिस व्यक्ति को अनुदान दिया जा रहा है वह उसका उचित प्रयोग कर रहा है या नहीं या उचित व्यक्ति को ही धन प्राप्त हो रहा है या नहीं।

शिक्षा के अभाव के कारण भी प्रत्येक किसान कागजी कार्यवाईयों को पूर्ण करने में सफल नहीं हो पाता है। इस कारण अनुदान के रूप में उसके नाम पर दी गयी पूरी राशि उस तक नहीं पहुंच पाती। यदि कागज में 6 हजार रुपया दिया गया है तो उस तक पहुंचते पहुंचते वह राशि 3000 रु. हो जाती है।

सरकार को धन का वितरण करते समय उस व्यक्ति द्वारा धन या अनुदान का वितरण किया जाना चाहिये जो व्यक्ति उस गांव के प्रत्येक व्यक्ति को जानता है। वितरण की व्यवस्था ग्राम प्रधान या ग्राम सेवक के माध्यम से की जानी चाहिये जिससे सरकार द्वारा वितरित अनुदान का प्रत्येक व्यक्ति उचित लाभ उठा पाएगा तथा हम सामाजिक न्याय प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे। सरकार द्वारा विकास प्राधिकरण योजना नहीं चलायी जा रही है। सरकार द्वारा वितरित इस अनुदान का प्रयोग व इसको उचित व्यक्ति तक पहुंचना सम्भव हो तो सामाजिक न्याय प्राप्त करने में देर नहीं लगेगी।

- प्रवक्ता, राजनीति शास्त्र,
राजनीति शास्त्र विभाग,
कुमायूं विश्वविद्यालय केम्पस,
अल्मोड़ा पूर्वी-263601

ग्रामीण आवास और गरीबी उन्मूलन

जी.सी.माथुर

ग्रामीण क्षेत्रों, जहां 5.5 लाख गांवों में भारत के 75 प्रतिशत से अधिक लोग रहते हैं, में आवास की समस्या कई कारणों से अत्यंत चिन्ताजनक है। ग्रामीण गरीबों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को इस समस्या से जूझना पड़ता है। ग्रामीण गरीबों के आवास और पर्यावरण की असंतोषजनक स्थिति हमारे गांवों की गरीबी का प्रत्यक्ष कारण है। आवासहीन ग्रामीण जनसंख्या के अलावा, सामान्यतः ग्रामीण गरीब परिवार एक कमरे के झोपड़ीनुमा घरों में रहते हैं और उनकी दशा भी अत्यन्त शोचनीय है।

कच्चे मकान और उनकी समस्यायें

1981 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, यह अनुमान लगाया गया है कि 87.2 मिलियन ग्रामीण मकानों में से करीब 70.8 मिलियन मकान कच्चे और अर्ध पक्के थे। इनमें से 38.2 मिलियन मकान केवल कच्चे थे, 32.5 मिलियन मकान अर्ध पक्के थे और 16.4 मिलियन मकान ही पक्के थे। कुल ग्रामीण मकानों में से 50 प्रतिशत मकानों में, विशेषकर दीवारों के लिए मुख्य निर्माण सामग्री के रूप में गारे को इस्तेमाल किया गया। दो-तिहाई से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में छतों को ढकने के लिए घास और पत्तियों का बहुतायत में प्रयोग किया गया। भारी वर्षा, भूकम्प, बार-बार आने वाली बाढ़ें, मौसमी चक्रवात, भू-स्खलन, हिमस्खलन, तेज तूफानी हवायें, आग इत्यादि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण ये कच्चे और अर्ध पक्के मकान हमेशा असुरक्षित रहते हैं। एक अनुमान के अनुसार, देश में ग्रामीण गरीब परिवारों के लगभग 2.5 मिलियन मकान प्रतिवर्ष टूट-फूट जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण ग्रामीण गरीब विशेषकर महिलायें और बच्चे बेघर हो जाते हैं और उन्हें अवर्णनीय मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

ग्रामीण गरीबों की झोपड़ियों में बहुत कम जगह होती है, जिसके कारण इनमें शौचालय, पानी के निकास के लिए पाईप, पीने का पानी, गोबर डालने की जगह और खुली गलियों जैसी आवश्यक सुविधाओं का सर्वथा अभाव होता है। रहने के कमरे में भोजन पकाने के कारण धुआं भर जाता है, जिसके कारण आंखों और स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है और महिलाएं तथा बच्चे खासतौर पर इसी वजह से अनेक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं।

स्वास्थ्य केन्द्रों, स्कूलों और सामुदायिक भवन जैसी सामुदायिक सुविधायें भी प्रायः इन गरीब परिवारों को अनेक सामाजिक और आर्थिक कारणों से उपलब्ध नहीं हो पातीं। यह उनके, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के सामाजिक विकास में बहुत बड़ी बाधा है। इसी प्रकार बारहमासी सड़कों, सीधी पहुंच सड़कों, बिजली, यातायात और संचार आदि जैसी सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं का अभाव ग्रामीण निर्धन परिवारों के आर्थिक विकास में अवरोधक बन गया है। भारत सरकार के राष्ट्रीय भवन संगठन द्वारा किये गये मूल्यांकन से इस बात का जायजा लिया जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवास समस्या कितनी जटिल है। इस संगठन के अनुसार 1988 में 2 करोड़ से अधिक मकानों की आवश्यकता थी। यह अनुमान लगाते समय केवल उन कच्चे मकानों को बदलने का विचार किया गया था जो बिल्कुल रहने योग्य नहीं थे।

ग्रामीण गरीब परिवारों की दयनीय स्थिति को देखते हुए आवास और पर्यावरण की स्थितियों में सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये और इसे समग्र ग्रामीण विकास नीति का एक अंग माना जाना चाहिये। इस तरह इसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के एक अनिवार्य घटक के रूप में शामिल किया जाना चाहिये।

ग्रामीण आवास योजनायें

पूरे देश में लागू किये जाने की लिए शुरू की गई महत्वपूर्ण ग्रामीण आवास योजनाओं का संक्षिप्त उल्लेख नीचे किया गया है जिसमें महिलाओं को होने वाले लाभों पर भी प्रकाश डाला गया है।

1. ग्रामीण आवास परियोजना : नया मकान बनाने

अथवा विद्यमान झोपड़ी अथवा कच्चे मकान का नवीकरण करने के लिए ग्रामीण लोगों को ब्याज की कम दर पर मकान की दो-तिहाई लागत तक के ऋण प्रदान करने के लिए 1958 में ग्रामीण आवास परियोजना शुरू की गई थी ।

2. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम : चौथी पंचवर्षीय योजना से न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण गरीब भूमिहीन परिवारों को निःशुल्क मकान-स्थल देने की व्यवस्था की गई थी । इसके बाद की योजनाओं में कार्यक्रम के अन्तर्गत मकान निर्माण के लिए सहायता को ही शामिल किया गया था ।

3. बीस सूत्री कार्यक्रम : 1975 में बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में ग्रामीण आवास-स्थल योजना और निर्माण सहायता कार्यक्रम को समयबद्ध रूप में लागू करने को और तरजीह दी गयी ।

4. इंदिरा आवास योजना : 1985-86 में अनुसूचित जातियों/जनजातियों और मुक्त बंधुआ मजदूरों को निःशुल्क आवास सुविधायें प्रदान करने के लिए इंदिरा आवास योजना शुरू की गई थी और सातवीं योजना के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 10 लाख मकानों का निर्माण किया जाना है । 1988-89 के दौरान 1.35 लाख मकानों के वार्षिक लक्ष्य की तुलना में दिसम्बर 1988 तक 1.01 लाख मकानों का निर्माण किया गया था ।

5. अन्य आवास योजनायें : ग्रामीण परिवारों के लिए मकानों के निर्माण कार्य, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, प्राकृतिक आपदा राहत पुनर्निर्माण कार्यक्रम तथा सफाई कर्मचारियों और बुनकरों आदि के लिए विशेष आवास योजनाओं के अन्तर्गत भी किये जा रहे हैं ।

5. अनिवार्य सेवाओं की व्यवस्था : ग्रामीण लोग पीने के पानी, गंदे पानी की निकासी, धुएं रहित चूल्हे, बायो-गैस संयंत्र, स्वच्छ शौचालय और चरागाह जैसी सुविधायें अपने घर में कर सकते हैं, यदि उन्हें ये सुविधायें उचित प्रौद्योगिकी अपनाकर कम लागत पर उपलब्ध कराई जा सकें। इससे महिलाओं की कठिनाइयों को दूर करने में काफी मदद मिलेगी ।

सामाजिक आर्थिक विकास

ग्रामीण गरीबी के उन्मूलन पर उचित आवासीय प्रौद्योगिकियों के प्रभाव का मूल्यांकन ग्रामीण गरीबों को होने वाले आर्थिक लाभों और सामाजिक उत्थान से किया जा सकता है, जिसे निम्नलिखित रूप में प्राप्त किया जा सकता है :

1. रोजगार सृजन : निर्माण पर होने वाले कुल खर्च से 50 प्रतिशत तक की राशि को स्थानीय रोजगार पर खर्च किया जाना है । इसमें से अधिकांश रोजगार को अकुशल श्रमिकों और परम्परागत रूप से कुशल श्रमिकों, जिनमें महिलायें भी शामिल होंगी, को मिलेगा । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम और इंदिरा आवास योजना की मार्फत विस्तृत आवास कार्यक्रम शुरू करके रोजगार की गारंटी दी जा सकती है ।

2. घरेलू साधनों का विकास : स्थानीय रूप से उपलब्ध भवन निर्माण-सामग्री के अधिकतम उपयोग से कुटीर तथा लघु स्तर के ग्रामीण उद्योगों का बड़े पैमाने पर विकास होता है, जिससे उत्पादन और उत्पादकता दोनों में वृद्धि होती है और इसके फलस्वरूप विशेष रूप से महिलाओं को आर्थिक लाभ मिलते हैं ।

3. कार्यक्षमता का सृजन और उसे उन्नत बनाना : अकुशल श्रमिकों को भवन निर्माण के विभिन्न कार्यों में प्रशिक्षित किया जाता है और परम्परागत कारीगरों को नये हुनर सिखाये जाते हैं । इससे इन्हें नये और अधिक रोजगार के अवसर मिलते हैं और ग्रामीण गरीब परिवारों और विशेष रूप से महिलाओं तथा बेरोजगार युवकों को रोजगार प्राप्त होता है ।

रोजगार सम्भावनायें

1981 की जनगणना के अनुसार, देश में कुल 114.4 मिलियन रिहायशी मकानों की तुलना में 76.2 प्रतिशत मकान गांवों में हैं । कम लागत पर ग्रामीण मकान स्थानीय तौर पर उपलब्ध सामग्री जैसे गारा-मिट्टी, घास, भूसा, पत्ते, बांस, ईंट-पत्थर और चूने आदि से बनाये जाते हैं । दीवारों और छतों के निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री के आधार पर 81 प्रतिशत मकान या तो कच्चे हैं अथवा अर्ध पक्के हैं ।

गांवों में आदमी और औरत सभी लोग स्थानीय सामग्री का प्रयोग करके मकान बनाने के साधारण तरीकों से भली-भांति परिचित हैं । परम्परागत रूप से प्रशिक्षित गांवों के कारीगर जैसे राज मिस्त्री, बढ़ई, लोहार आदि की सेवायें लेकर मकानों का निर्माण किया जाता है । न केवल मकानों के

निर्माण से बल्कि उनकी मरम्मत और रखरखाव आदि के कारण भी लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार प्राप्त होता है।

6. पर्यावरण सुधार योजनायें : पर्यावरण सुधार के कार्यक्रमों को ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंचाया गया है। जैसे राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अन्तर्गत 26 लाख समस्याग्रस्त गांवों में पीने का पानी उपलब्ध कराना, स्वच्छ शौचालयों, धुआं रहित चूल्हों, बायो-गैस संयंत्रों की व्यवस्था कराना, जिनका ग्रामीण गरीब महिलाओं के विकास और उन्हें रोजमर्रा की कठिनाइयों से मुक्ति दिलाने से गहरा सम्बन्ध है।

आर्थिक और सामाजिक सहयोग

गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों के अन्तर्गत उचित प्रौद्योगिकियों को अपनाकर गरीब परिवारों के सम्मुख आने वाली आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयों को दूर करने के महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं, जिससे लोगों में आत्मनिर्भरता आई है और परम्परागत हुनर तथा स्थानीय सामग्री का लाभकारी प्रयोग सम्भव हो सका है। इनसे ऊर्जा की बचत हुई है और लोगों को रोजगार मिला है।

परियोजनाओं का प्रदर्शन

राष्ट्रीय भवन संगठन ने देश की भिन्न-भिन्न जलवायु वाले क्षेत्रों में कम लागत वाली आवास परियोजनाओं के 120 से अधिक प्रदर्शनों का आयोजन करके उचित ग्रामीण आवास प्रौद्योगिकियों के व्यावहारिक लाभों का प्रदर्शन किया है। प्रत्येक प्रदर्शन में चुने हुए गांवों में कम लागत वाले 20 मकानों के समूह बनाये गये हैं। प्रत्येक मकान में निर्मित क्षेत्र 20 वर्ग मीटर का रखा गया है जिसमें एक रहने का कमरा और रसोई के लिए अलग स्थान बनाया गया है। स्थल का आकार 83.5 वर्ग मीटर है। इस स्थान पर भविष्य में एक और कमरा बनाने और साथ ही आगे-पीछे के आंगन में पशुपालन तथा ग्रामीण हस्तशिल्प के कार्य करने के लिए पर्याप्त स्थान रखा गया है। मकान की औसत लागत 6000 रुपये से कम है।

आवास प्रौद्योगिकी का विकास

आवास के लिए उचित प्रौद्योगिकी का ग्रामीण गरीबी दूर करने से गहरा सम्बन्ध है। पहले चरण में यह घटिया किस्म के ग्रामीण मकानों की हालत और पर्यावरण परिस्थितियों में सुधार करेगी। मूल रूप से उचित प्रौद्योगिकियों के अपनाने से ग्रामीण गरीब परिवारों की आवासीय समस्याओं का समाधान करने में निम्नलिखित रूप में सहायक होंगी :–

1. श्रम प्रधान प्रौद्योगिकियां : ये प्रौद्योगिकियां स्थानीय लोगों, विशेष रूप से अकुशल व्यक्तियों को निर्माण-कार्य के साथ-साथ भवन निर्माण सामग्री के उत्पादन के लिए अधिक अवसर प्रदान करेंगी।

2. सामर्थ्यानुसार लागत पर मकान : सस्ती स्थानीय सामग्री और परम्परागत हुनरों के जरिये गरीब लोगों की सामर्थ्य के अनुसार लागत वाले मकान बनाये जा सकते हैं।

3. टिकाऊ निर्माण-कार्य : स्थानीय सामग्री के सुधरे हुए प्रयोग और निर्माण प्रौद्योगिकियों को अपनाकर टिकाऊ स्वरूप के निर्माण-कार्य किये जा सकते हैं।

4. स्व-सहायता आवास : इससे लोगों में अपने घर बनाने में सक्रिय भागीदारी को जागृत किया जा सकता है जिससे वे मजदूरी पर आने वाली लागत को बचा सकते हैं।

चूंकि निर्माण-कार्य मुख्य रूप से श्रम प्रधान कार्य है और इस कार्य को करने में किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इससे महिलाओं सहित अनेक अकुशल अथवा अर्ध-कुशल लोगों को बड़ी मात्रा में रोजगार मिलता है। इसलिए उचित प्रौद्योगिकियों को अपनाकर बड़े पैमाने पर मकानों के निर्माण के कार्यक्रम से ग्रामीण गरीब परिवारों को अनेक रूपों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ होंगे।

अर्ध पक्के मकानों के निर्माण के लिये स्थानीय रोजगार सम्भाव्यता को बढ़ाने के आसारों पर और विचार करने की आवश्यकता है। रोजगार में वृद्धि मकान के सुरक्षात्मक ढांचे और उसके टिकाऊपन में सुधार लाने की कच्ची सामग्री के प्रयोग के लिए सुधरी किस्म की निर्माण तकनीकों को अपनाकर की जा सकती है। यह अनुमान है कि उपरोक्त पहलुओं को उन्नत करने के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार इस तरीके से 10 प्रतिशत रोजगार के अवसर बढ़ाना सम्भव हो सकेगा।

अनुवाद : प्रवीन गर्ग,
बी-112,
शकरपुर, दिल्ली–92

सामुदायिक विकास के स्तम्भ–एस.के.डे

आबिद हुसैन

श्री एस. के.डे एक ऐसे अद्भुत और आकर्षक व्यक्ति थे जो अपने जीवन काल में ही एक अनुश्रुति बन गये। उनके व्यक्तित्व में ऐसी शक्ति थी जिससे वे बड़े से बड़े जन समूह को अपनी ओर खींच लेते थे और लोगों को वचनबद्धता और त्याग की अद्वितीय ऊंचाइयों तक प्रेरित करते थे। एक समर्पित प्रचारक के रूप में वे अपने जीवन की अंतिम सांस तक गरीबों के कल्याण के कार्य के प्रति एक दृढ़ आदर्शवादी बने रहे। वे स्थिर और सामन्तवादी अर्थव्यवस्था के एक पतित ढांचे में फंसे लोगों को प्रेरित करने के प्रयास में लगे 'एकजन सेना' के रूप में जुटे रहे।

सिलहट गांव (अब बंगला देश में) के एक निर्धन किसान परिवार में जन्मे श्री डे को अमरीका पहुंचने तक कड़ा संघर्ष करना पड़ा और वहां एक विख्यात जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी में अधिकारी बन गए। उसी कम्पनी की भारत में एक शाखा में उसी स्तर पर उन्हें नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप वे भारत आ गए और विलासिता का जीवन बसर करने लगे। जो लोग उन्हें पहले से जानते थे उनके दिखावटी रहन-सहन को देखकर अचम्भा करते थे। तभी एक वज्रपात हुआ, भारत का विभाजन हो गया, देश में ज्वाला की लपटें उठने लगीं। लाहौर में जिन लोगों के साथ वे रहते थे, जिनकी खुशियों को उन्होंने बांटा था आज वे अस्त-व्यस्त थे, पीड़ित थे, उजड़े हुए थे, पराये थे और उन्हें सामाजिक उथल-पुथल तथा विपत्तियों के हाल पर छोड़ दिया गया था।

अद्भुत प्रकार की इस मानव विपत्ति को वे सह नहीं पाये, उन्होंने अपनी आराम की जिन्दगी को छोड़ दिया और एक दृढ़ विश्वास के साथ वे लोगों के पुनर्वास के प्रयास में जुट गए थे जो हृदय विदारक वेदना और विपत्ति में थे। उन्होंने विभाजन के शिकार लोगों को राख उठाने, उनमें अपनी सहायता आप करने की भावना जागृत करने और अपने ऊपर आयी विपत्ति को चुपचाप सहन न करने के लिए अदम्य साहस जुटाने के लिए नीलोखेड़ी में एक कैम्प लगाया। उनके नेतृत्व में शरणार्थियों ने पुनर्वास के रूप में अपने-अपने शिल्प और हुनर में कार्य करके एक अर्थपूर्ण नए जीवन की शुरूआत की।

श्री डे ने उन लोगों में उनकी प्राचीन गरिमा की स्मृतियों को ताजा किया और एक उज्ज्वल भविष्य की आशा को प्रज्वलित किया। जन्म और मूल से एक भारतीय किसान का पुत्र होने के नाते उन्होंने उन लोगों में सामुदायिक विकास की भावना का सृजन किया। राष्ट्र के प्रति एक अद्वितीय भावना से उन्मुक्त श्री डे ने लोगों से कन्धे से कन्धा मिलाकर काम किया। कोई रुकावट या बाधा अथवा विघ्न और यहां तक कि साम्प्रदायिक हत्याकाण्ड अथवा बदले की भावना उनके रास्ते का रोड़ा नहीं बनी। जनशक्ति के साथ बाधाओं पर हावी होते हुए उन्होंने नीलोखेड़ी को एक विशाल सफलता बना दिया। सारा देश नीलोखेड़ी के एक छोटे से शहर में एक व्यक्ति के चमत्कार से आश्चर्यचकित हो गया।

साम्प्रदायिक हत्याकाण्ड की आग में जलते हुए और एक टूटे हुए समुदाय के दम तोड़े धैर्य को पुनः जागृत करने के ओजस्वी अनुभव से श्री डे एक आदर्शवादी बन गए। उन्होंने नीलोखेड़ी में अनुभवों से सच्चाई की एक नई चिंगारी देखी जो पूरे ग्रामीण समाज में जीवन की जोत जला सकती थी। वे लोगों में मेलजोल की भावना जागृत करके उन्हें क्रियाशील बनाने का स्वप्न देखने लगे। उन्हें विश्वास हो गया था कि नीलोखेड़ी के आने वाले अनुभव में उन्हें पूरे देश के गांवों में एक मौन क्रान्ति लाने का तरीका मिल गया है। उनके कार्य देखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू की निगाहें उनसे वंचित न रह सकीं और उन्होंने पंडितजी का दिल सदा के लिये जीत लिया।

पंडितजी, जो एक महान विचारक, चिंतक और आदर्शवादी थे, ने श्री एस.के.डे में सदृश भावना देखी। दोनों ने मिलकर एक महत्वाकांक्षी सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया जिसका उद्देश्य अपनी सहायता स्वयं करके क्षमता बढ़ाना और लोगों को अधिकार दिलाने के लिए मार्ग प्रशस्त

करना था। ये ऐसी संकल्पनाएं हैं जो आज पुनः लोकप्रिय होती जा रही हैं। लेकिन तीस वर्ष पूर्व वास्तव में इनके जन्म दाता श्री एस.के.डे थे जिन्होंने इनका प्रचार किया और इसे एक संगठनात्मक रूप दिया। यह कहना अनुचित न होगा कि 'लोगों को अधिकार' और 'लक्षित वर्ग' ऐसे कार्यक्रम हैं जिन्हें युगयुगान्तर तक भुलाया नहीं जा सकता, इन्हीं से श्री डे के दर्शनशास्त्र की झलक मिलती है।

एक विचार को ठोस स्वरूप देना और छोटे से अनुभव को अधिक भारतीय आन्दोलन और कार्यक्रम में बदलना कोई मामूली बात नहीं थी। इसका कड़ा विरोध भी हुआ। उन्हें अपनी पार्टी और प्रशासन में अपने विरोधियों को परास्त करने के लिए अपनी तीव्र अभिव्यक्तियों का प्रयोग करना पड़ा। शीघ्र ही सामुदायिक विकास सत्ता का एक अंग बन गया और प्रशासक ने इस बात को माना कि लोगों की भागीदारी के बिना जन विकास कार्य को प्रशासकों पर नहीं छोड़ा जा सकता। इस प्रकार, सामुदायिक विकास संगठन का जन्म हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि "पूरे भारत में मानव कार्यों के जो केन्द्र हैं वे आसपास फैले अन्धेरों को दूर करने के लिए दीपक का काम कर रहे हैं"।

1960 में भारत में ग्रामीण विकास के प्रयास और कृषि आयोजना में तीव्र बदलाव आया जब देश में खाद्यान्नों का गम्भीर अकाल पड़ा। भारत ने प्रौद्योगिकी का सहारा लिया। हमारे अधिकांश टिप्पणीकार इस बात को भूल गए हैं कि इन प्रौद्योगिकीय तरीकों को इतनी सफलतापूर्वक अपनाया नहीं जा सकता था यदि श्री डे द्वारा इसकी ठोस नींव न रखी गई होती। प्रौद्योगिकीय माडल और जो कुछ श्री डे ने अपनाया, आपस में अनन्य नहीं हैं। वास्तव में दोनों को एक साथ मिला दिया जाना चाहिए तभी प्रौद्योगिकी और संगठन की सहक्रिया राष्ट्र का मान कर सकेगी।

मुझे श्री एस.के.डे साहब के साथ अपनी जीवन-वृति शुरू करने और सामुदायिक विकास की परियोजनाओं पर कार्य करके इसका एक बड़ा हिस्सा लगाने का एक अद्भुत अवसर मिला था। ये डे साहब ही थे जिन्होंने मुझे तेलंगाना के निर्जीव चावल के खेतों से निकालकर एक प्रेरक, उत्तेजक और चुनौती पूर्ण वातावरण में कार्य करने के लिए रोपित किया। यह मेरा सौभाग्य था जब एक गहन बौद्धिक अंतःक्षोभ के समय उनके साथ काम का अवसर मिला जबकि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को एक दिशा दी जा रही थी। उन्होंने मुझ में पैतृक रुचि दर्शायी। 1960 के दशक के बाद जब मुझे दूसरे उत्तरदायित्व सौंपे गए तब भी हम एक दूसरे के सम्पर्क में रहे। मेरी पत्नी के शब्दों में "आबिद हुसैन के सप्ताह में सात नहीं आठ दिन होते हैं।"

अनुवाद : शशि बाला

इंदिरा आवास योजना

केन्द्र सरकार द्वारा 1985-86 के दौरान देश के विभिन्न भागों में शुरू की गई इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत मार्च, 1989 तक 4 लाख 92 हजार से अधिक आवासीय इकाइयों का निर्माण किया गया है। इनमें से वर्ष 1985-86 के दौरान 52,320, 1986-87 में लगभग 1 लाख 52 हजार, 1987-88 में 1 लाख 63 हजार तथा 1988-89 में 1 लाख 26 हजार से अधिक मकानों का निर्माण किया गया। केन्द्रीय क्षेत्र की योजना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा बंधुआ मजदूरों के लिए शुरू की गई थी जिनके लिए रहने की सुविधाएं अपर्याप्त हैं। योजना में मुख्य बल रोजगार सृजन पर दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत न केवल आवासीय इकाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी बल्कि प्रवेश मार्ग, जल निकास, जल-आपूर्ति और सफाई की बुनियादी सुविधाओं का भी विकास किया जायेगा। यह योजना ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी के अन्तर्गत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लागू की जा रही है। इस योजना के लिए वर्ष से वर्ष के आधार पर राशि निर्धारित की जाती है। वर्ष 1988-89 के दौरान इसके लिए 124 करोड़ रुपये आबंटित किए गए जिसमें से 85.17 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।□

आवास निर्माण को बढ़ावा देने हेतु नई योजना

राष्ट्रीय आवास बैंक ने आवासीय गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक गृह ऋण खाता योजना शुरू की है। 'गृह ऋण खाता स्कीम' नामक यह योजना खासतौर पर मकान के वास्ते बचत करने में लोगों की सहायता के लिए बनाई गई है। यह योजना देश भर में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सभी शाखाओं और अन्य निर्दिष्ट बैंकों द्वारा चलाई जाएगी। योजना में शामिल व्यक्ति कम से कम पांच वर्ष तक धन जमा करने के बाद नया मकान/फ्लैट प्राप्त करने के लिए ऋण ले सकेंगे।

इस योजना का उद्देश्य अपनी मदद खुद करने में मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और गरीब लोगों की मदद करना है। यह योजना वेतनभोगी कर्मचारी, देहाड़ी के मजदूर, पेशेवर व्यक्ति, व्यापारी और किसान के लिए है।

आजकल बैंक, आवास वित्त कम्पनियां, सहकारी आवास, वित्त समितियां और सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थान ऋण देते हैं, लेकिन इनके साधन सीमित हैं। भाग्य के सहारे ही न बैठे रहें। इस योजना में शामिल हों और ऋण के लिए आश्वस्त हो जाएं।

योजना का मुख्य पहलू यह है कि अगर कोई सदस्य कम से कम पांच वर्ष तक नियमित रूप से बचत करता है, तो उसे अपनी इकट्ठी बचत के गुणकों में निश्चित रूप से ऋण मिल सकेगा। नाबालिग को ऋण वयस्क होने पर ही मिल सकेगा। किसी भी सदस्य को बचत उस समय तक जारी रखनी होगी, जब तक उसका अपना मकान न हो जाये और उसे इसके लिए ऋण की आवश्यकता हो।

योजना की एक खास सहूलियत यह है कि खाताधारी का खाता कहीं भी क्यों न हो, वह सारे भारत में कहीं भी आवास/फ्लैट प्राप्त करने के लिए ऋण ले सकता है।

जमा राशि पर 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज मिलेगा। 50,000 रुपये तक के आवास ऋणों पर 10.5 प्रतिशत वार्षिक होगा, अर्थात् जमा राशि पर केवल आधा प्रतिशत अधिक। बड़े ऋणों पर (अधिकतम राशि 3,00,000 रु.) ब्याज की दर ज्यादा होगी लेकिन सभी प्रकार के आवास ऋणों पर करों में काफी रियायतों से ब्याज की वास्तविक दरें काफी कम रह जाती हैं। इस योजना के अन्तर्गत ऋण देने से बैंकों सहित अन्य संस्थाओं से सामान्य शर्तों पर ऋण लेने में कोई रुकावट नहीं है।

इस योजना के अन्तर्गत की गई बचत आवास सुविधा के लिए है और इसका उपयोग केवल मकान बनाने या मकान/फ्लैट खरीदने के लिए ही किया जा सकता है। लेकिन कुछ खास शर्तों पर रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करने या सार्वजनिक संस्थाओं अथवा शहरी आवास संस्था द्वारा अलाट किए गए प्लाट को खरीदने के लिए खाते में से कुछ धन निकालने की छूट है।

कोई भी भारतीय नागरिक जिसके अपने नाम कोई मकान/फ्लैट नहीं है, गृह ऋण खाता खोल सकता है। अनिवासी भारतीय भी सीधे धन भेजकर या अनिवासी भारतीय खाते से धन जमा कराकर इस योजना के अन्तर्गत खाता खोल सकते हैं। इस योजना के अन्तर्गत एक सदस्य का केवल एक खाता होगा लेकिन अपने नाम में और अपने नाबालिग बच्चों के नाम में अलग-अलग खाते खोले जा सकते हैं। कम से-कम 30 रुपये महीना की बचत करनी होगी। अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं है, लेकिन बचत तब तक करनी होगी, जब तक की व्यक्ति को अपना मकान न हो जाये। किश्त की अदायगी तिमाही, छमाही या वार्षिक आधार पर की जा सकती है। बचत की राशि में भी फेर-बदल किया जा सकता है लेकिन यह 10 रुपये के गुणकों में होनी आवश्यक है।

इस योजना के अन्तर्गत कम से कम पांच वर्ष तक पैसा जमा कराने के बाद कुल बचत के निम्न आधार पर ऋण मिल सकेगा : 40 वर्ग मीटर या 430 वर्ग फुट निर्मित आवास पर जमा राशि से चार गुना तक, 80 वर्ग मीटर या 860 वर्ग फुट से अधिक निर्मित आवास पर जमा राशि-से दो गुना तक ऋण मिल सकेगा।

ग्राहकों को आवास ऋण में प्राथमिकता दी जाएगी लेकिन सामान्य शर्तों पर। यह ऋण खाता योजना अकेली ऐसी योजना है जिसमें कोई व्यक्ति जितना भी चाहे, जैसे भी चाहे और जब तक चाहे बचत कर सकता है।□

झोपड़ी बीमा योजना गरीबों के लिए लाभकारी

अशोक कुमार यादव

भारत सरकार ने चित्तौड़गढ़ जिले सहित पूरे राजस्थान में झोपड़ियों में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए झोपड़ी बीमा योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को झोपड़ी अथवा झोपड़ी में रखे सामान की केवल आग लगने से होने वाली क्षति के लिए राहत प्रदान करना है।

उल्लेखनीय है कि झोपड़ी बीमा योजना में झोपड़ी मालिक को कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता है। भारत सरकार ने ही प्रीमियम का भार उठाया है। आग से हानि होने पर अपना दावा प्रस्तुत करने पर झोपड़ी मालिक को बीमा कम्पनी द्वारा झोपड़ी की क्षति के लिए एक हजार रुपये तक तथा आग लगने से झोपड़ी में रखे सामान के नष्ट हो जाने पर 500 रुपये तक के मुआवजे का भुगतान किया जाता है। भूमिहीन मजदूर, कारीगर, मझोले किसान, किसानों के परिवार, पारम्परिक शिल्पकारों के परिवार तथा छोटे-मोटे उत्पादन, व्यापार अथवा घरेलू और अन्य सेवाओं में लगे परिवार एवं जिनकी समस्त स्रोतों से कुल पारिवारिक आय 4 हजार 800 रुपये प्रति वर्ष से अधिक हो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

झोपड़ी-मालिक की मृत्यु हो जाने पर उसकी पत्नी को और पति अथवा पत्नी दोनों के नहीं होने पर आश्रित बच्चों को इस बीमा योजना में राहत प्रदान की जाती है। अवयस्क बच्चों के मामले में प्रदत्त राहत राशि डाक घर अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में जमा करा दी जाती है तथा दावा, जांच व निपटान अधिकारी इन खातों के संचालक हो सकते हैं। यदि किसी परिस्थिति में जीवित बच्चे भी नहीं हों तो उनके आश्रित माता-पिता और आश्रित माता-पिता भी नहीं हों तो आश्रित भाई-बहन इस राहत राशि के लिए बराबर के हकदार होंगे।

राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में झोपड़ी बीमा योजना का प्रबंध संचालन "दि ओरियेन्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड" द्वारा किया जा रहा है। झोपड़ी बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए झोपड़ी में आग लगने पर गांव के मुखिया, सरपंच, ग्राम सेवक, पटवारी तथा समीपवर्ती पुलिस स्टेशन को तत्काल सूचना देनी चाहिये। निर्धारित फार्मों में हानि होने के 45 दिनों के अन्दर दावे की सूचना जिले में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत दावा जांच व निपटान अधिकारी को देनी होती है। दावे की जांच के पश्चात् निपटान अधिकारी द्वारा राहत राशि का भुगतान करने के लिए सिफारिश की जाती है और झोपड़ी का मालिक अग्नि लगने से हुई क्षति के लिए निर्धारित की गयी राहत राशि का भुगतान ओरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी के कार्यालय से सीधे प्राप्त कर सकता है।

झोपड़ी बीमा योजना का लाभ उस स्थिति में नहीं मिल सकता है जबकि आपराधिक आशय से किसी कानून को तोड़ने के लिए आग लगाई गयी हो तथा जहां आग लगने से झोपड़ी तथा अन्य सामान की क्षति के लिए राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार अथवा जिला प्रशासन से डेढ़ हजार रुपये से अधिक का मुआवजा प्राप्त होता है। यदि राहत राशि डेढ़ हजार से कम है तो योजना के अन्तर्गत मुआवजा उसी राशि तक दिया जाता है जिससे कि सभी स्रोतों से कुल राहत डेढ़ हजार रुपये तक हो जाये।

जिला जन सम्पर्क अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.) 312001

चिल्हिया ग्राम में कुम्हारी उद्योग का विकास

कु. मृदुला रानी

बस्ती जनपद गोरखपुर मण्डल का एक जिला है। बस्ती जनपद की लम्बाई उत्तर से दक्षिण तक 110 कि.मी. तथा पूर्व से पश्चिम तक 84 कि.मी. है। यातायात के साधनों में यहां रेल तथा सड़क मुख्य हैं। जनपद की उत्तर सीमा पर गोरखपुर से गौंडा तक छोटी लाइन तथा दक्षिण में गोरखपुर से लखनऊ तक बड़ी लाईन की सुविधा उपलब्ध है। बस्ती जनपद 6 तहसीलों और 32 विकास खण्डों में विभाजित है। वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 35.78 लाख है तथा जनसंख्या का घनत्व 495 है। बस्ती जनपद में साक्षरता का कुल प्रतिशत 20.24 है।

इस सर्वेक्षण में बस्ती जनपद के ग्राम चिल्हिया में कुम्हारी उद्योग का अध्ययन किया जा रहा है। ग्राम चिल्हिया में बस्ती जनपद के नौगढ़ तहसील की उत्तर सीमा पर स्थित है। इसके अतिरिक्त यह रेलवे -छोटी लाईन का स्टेशन भी है। इस ग्राम में एक हाईस्कूल तथा जूनियर हाईस्कूल की सुविधा उपलब्ध है। यह ग्राम नौगढ़ पल्टादेवी मार्ग पर स्थित है। नौगढ़ से इसकी दूरी 14 कि.मी., बौसी से 26 कि.मी., शोहरतगढ़ टाऊन से 7 कि.मी. पल्टादेवी धार्मिक स्थल से 6 कि.मी. है। मुख्य मार्ग पर स्थापित होने के कारण यह स्थान जनपद के सभी मुख्य स्थानों एवं विकास खण्ड के सभी मुख्यालयों से जुड़ा हुआ है। बस्ती तथा नौगढ़ से शोहरतगढ़ होते हुये बढ़नी तक जाने वाली राजकीय बसों से भी यहां पहुंचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस ग्राम में एक पोस्ट आफिस की सुविधा भी उपलब्ध है। अतः स्पष्ट है कि इस ग्राम के निवासियों को लगभग सभी ऐसी सुविधायें उपलब्ध हैं जो जनजीवन को सुलभ होनी चाहिये।

ग्राम चिल्हिया में लगभग 25 परिवार के 125 सदस्य कुम्हारी तथा मूर्तिकला का काम करते हैं। इस उद्योग के साथ-साथ उनका मुख्य पेशा कृषि है। इनके पास अपनी निजी कृषि भूमि है। कुम्हारी उद्योग की प्रधानता वर्ष में माह जनवरी, फरवरी तथा अक्तूबर व नवम्बर में रहती है। वैसे बरसात की अवधि को छोड़कर वर्ष के हर माह सभी लोग इस उद्योग से जीविकोपार्जन करते रहते हैं। प्रत्येक परिवार की कुम्हारी उद्योग से अनुमानतः आय 800 रु. से 1000 रु. प्रतिमाह बतायी गयी है। माह जनवरी में मकर संक्राति के पर्व पर लगने वाले मेलों में ये अपना सामान बनाकर बेचने के लिये ले जाते हैं। अक्टूबर में विजयादशमी के अवसर पर दुर्गा प्रतिमायें बनाने में यहां के कुम्हार निपुण बताये गये हैं। दुर्गा की प्रतिमायें ये अपने ग्राम चिल्हिया में नहीं बनाते हैं बल्कि जिनसे उन्हें ठेके प्राप्त होते हैं उनके निवास पर ही जाकर प्रतिमायें बना देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि प्रतिमायें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में टूट न जाएं। प्रत्येक कुशल कारीगर को 10 से 15 प्रतिमाओं का ठेका मिल जाता है जिनमें प्रत्येक प्रतिमा का ठेका मूल्य 900 रु. से लेकर 1500 रु. तक होता है। दशहरा तथा दीपावली के पर्वों के लिये ये विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे खिलौने, खाद्य पदार्थ रखने हेतु अमृतदान, मिट्टी के कटोरे, सुराही तथा पानी के लिए गगरों का भी उत्पादन करते हैं। मुसलमानों में दुलदुल पर्व के लिए ये कारीगर मुखौटे बनाते हैं जिनका मूल्य 150 रु. से 300 रु. तक होता है।

इनके द्वारा बनायी गयी वस्तुयें समय-समय पर लगने वाले स्थानीय मेलों में बेची जाती हैं। ये कुम्हार स्वयं तैयार की गयी वस्तुओं को स्वयं ही बिक्रीकरते हैं।

चिल्हिया ग्राम में कुम्हारों को मिट्टी मिलने की कोई कठिनाई नहीं है। चकबन्दी के समय यहां के कुम्हारों के लिए अलग से भूमि आरक्षित कर दी गयी थी जो दीर्घकालीन अवधि के लिये पर्याप्त बतायी गयी है।

यहां के कुम्हार चाक तथा मिट्टी के बने फर्मों का प्रयोग करते हैं। चाक तथा मिट्टी के बर्तन, खिलौने तथा मूर्तियां बनाकर उन्हें ग्रामीण स्तरीय निर्मित भट्ठियों से लकड़ी तथा फूस आदि की सहायता से पकाया जाता है। कुछ उत्पाद को जैसे कटोरे, अमृतदान, सुराही, गगरे आदि को पकाने के बाद पुनः एक गड्ढे में रखकर उसमें धान की भूसी भर देते हैं और

उसे पूरी तरह ढक कर आग लगा देते हैं। इस प्रकार इसी के धुएं से वे बर्तन काले रंग लिये हुए चितकबरे हो जाते हैं। ऐसे उत्पादों की बिक्री स्थानीय तथा गैर स्थानीय दोनों बाजारों में होती है। फर्मों पर बनाये गये खिलौने तथा मूर्तियों की रंगाई करके उसे सुन्दर बना दिया जाता है। मिट्टी के पतीले तथा गगरों पर भी फूल पत्ती तथा जनवरों के चित्र आकर्षित करने वाले रंगों से बनाये जाते हैं।

उ.प्र. खादी बोर्ड द्वारा चिल्हिया ग्राम में कुल तीन कुम्हारों को सुधरे चाक तथा कुम्हारी के लिये खिलौने उत्पादन हेतु आर्थिक सहायता सुलभ करायी गयी है। (1988-89 मई तक) जिसमें श्री शौकत अली पुत्र शाह मुहम्मद को 2430 रु. की आर्थिक सहायता दी गयी है जिसमें 2215 रु. ऋण तथा 215 अनुदान राशि सम्मिलित है। श्री वली मुहम्मद पुत्र श्री चिराऊँ को 2430 रु. की आर्थिक सहायता दी गयी है जिसमें 2115 रु. ऋण तथा 215 रु. अनुदान राशि सम्मलित है। इसके अतिरिक्त श्री अम्बर अली पुत्र श्री खिलैसे को 3000 रु. की आर्थिक सहायता दी गई जिसमें 2500 रु. ऋण तथा 500 रु. अनुदान राशि सम्मलित है। इसके अतिरिक्त श्री युसुफ मुहम्मद पुत्र श्री अकबर, श्री रमजान अली पुत्र श्री वली मुहम्मद और श्री हनीफ मुहम्मद पुत्र श्री शाह मुहम्मद आर्थिक सहायता लेने हेतु आवेदन भर चुके है।

चिल्हिया ग्राम में एक सहकारी समिति मिट्टी पात्र और सा. समिति लि. के नाम से गठित है जिसे उ.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा 7700 रु. ऋण तथा 480 रु. अनुदान स्वरूप दिया गया है परन्तु समिति कार्यरत नहीं है।

चिल्हिया कुम्हारों की समस्यायें : वार्ता एवं चर्चा के समय कुम्हारों ने बताया कि अपनी भट्ठी के लिये स्थान न मिलने के कारण उन्हें काफी कठिनाई होती है तथा भट्ठी बनाने के लिये उन्हें दूर अपने खेतों में जाना पड़ता है। गठित सहकारी समिति कार्यरत नहीं है अतः सहकारिता योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है।

सुझाव

1. यहां के अन्य कुम्हारों के लिए भी सुधरे चाक जिला ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा स्वीकृत किये जायें।

2. इस बात को सुनिश्चित किया जाये कि कुम्हारों को चाक एवं आर्थिक सहायता प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो और इनकी औपचारिकतायें चिल्हिया ग्राम में ही पूर्ण कराये जाने का प्रयास किया जाये।

3. कुछ युवक कुम्हारों को निजामाबाद (आजमगढ़) भेज कर वहां की कुम्हारी तकनीक में प्रशिक्षित कराया जाना चाहिये। प्रशिक्षण अवधि में समुचित छात्रवृत्ति आने जाने का किराया तथा निःशुल्क आवास सुविधा प्रदान करायी जानी चाहिए।

4. उपरोक्तानुसार कुछ कुम्हार युवकों को टेराकोटा में भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। यहां के कुम्हारों में किसी वस्तु को सीखने तथा उत्पादित करने की अत्यधिक रुचि है।

5. प्रशिक्षण उपरान्त उन्हे उ.प्र. खादी बोर्ड द्वारा आवश्यक आर्थिक सुविधा सुलभ कराकर इसे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात यहां के कुम्हारी उद्योग को एक नयी दिशा मिलेगी तथा उनके कार्य क्षेत्र एवं दैनिक आय में भी वृद्धि होगी। सिद्धार्थ नगर जिला बन जाने के कारण इस उद्योग का स्थानीय महत्त्व और भी बढ़ जाने की आशा है।

अर्थशास्त्र विभाग,
गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर (उ.प्र.)

पर्वतीय क्षेत्र और महिला रोजगार

प्रभा किरण

सोनला की रमेशी देवी कहती हैं, "मैं बीस वर्षीय विधवा हूं। कक्षा आठ तक पढ़ी हूं और नौकरी चाहती हूं परन्तु मजबूर हूं, भला नौकरी कहां मिलेगी ?" चमोली जिले के सोनला ग्राम की इस विधवा की ही यह व्यथा-कथा नहीं, पर्वतीय क्षेत्र की हजारों महिलाओं की यही पीड़ा है। सैकोट की मुन्नी देवी कहती हैं, "मैं एक शहीद सैनिक की पत्नी हूं, क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि दो जून रोटी के लिए कोई छोटी-मोटी नौकरी पा सकूं ?" आर्थिक विवशताओं में पिसती इन महिलाओं की मजबूरी यह है कि पर्वतीय अंचलों में इनके अधिकारों और सुविधाओं के बारे में जागरूक बनाने के लिए न कोई सशक्त महिला संगठन है और न ही सामाजिक संस्थाएं। कुछ संस्थाएं इस दिशा में काम कर भी रही हैं तो वे कागजी अधिक हैं, लोकोपयोगी कम।

लेकिन आर्थिक आत्मनिर्भरता की यह आवश्यकता जरूरतमंद महिलाओं में ही नहीं है, पर्वतीय क्षेत्र की उच्च महिलाओं में भी देखी जा रही है। और इसका कारण यह है कि इस क्षेत्र की विकास प्रक्रिया में तेजी के कारण पर्वतीय महिलाओं की भूमिका में भी जबर्दस्त परिवर्तन आया है। उदाहरण के लिए पौड़ी के एक एडवोकेट की पत्नी कहती है कि वह निष्क्रिय जिन्दगी से ऊब गई है इसलिए कोई काम चाहती है ताकि स्वावलंबन का बोध हो सके। पर्वतीय महिलाओं में ये परिवर्तन खासतौर से उनकी शिक्षा के स्तर में वृद्धि के कारण हुए हैं। इसलिए उनमें अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व और अस्तित्व के निर्माण की ललक पैदा हुई है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि शिक्षा प्रसार के पहले महिलाएं आर्थिक स्थिति के सुधार में सहयोग नहीं देती थीं, वरन इसके विपरीत पर्वतीय क्षेत्र की संपूर्ण कृषि व्यवस्था महिलाओं के श्रम पर ही आधारित थी और आज भी यही स्थिति है। चारा और पशुपालन से लेकर खेती के सारे काम-धाम पर्वतीय क्षेत्र के अनेक लघु उद्योग जैसे कालीन, ऊनी वस्त्रों के कुटीर उद्योगों का सारा प्रबन्ध महिलाएं ही देखती हैं।

हालांकि पर्वतीय महिलाएं काम के बोझ से काफी दबी रहती हैं किन्तु फिर भी इन पर्वत पुत्रियों ने किसी भय के वशीभूत न होकर अपने सामाजिक मूल्यों को अपने जीवन से निकलने नहीं दिया है।

ग्रामीण और अनपढ़ महिलाओं ने भी पुरुषों के साथ हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है, चाहे वे चिपको आंदोलन की पुरस्कृत महिलायें हों, अथवा पिथौरागढ़ की नशाबंदी चलाने या भट्टियों को तोड़ने वाली महिलाएं और चाहे टिहरी जनपद में व्याप्त अंधविश्वासों से टक्कर लेती महिलाएं। इतना सब होने के बावजूद महिलाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग घोर कुंठा में डूबा हुआ है। तेजी से बढ़ती महंगाई, अनुपयोगी खेती व कम दुधारू पशुओं ने उसे काम के बोझ से तो लाद दिया है किन्तु वे जीवन की आवश्यकताओं की न्यूनतम पूर्ति भी नहीं कर पाती हैं। सैकोट निवासी श्रीमती मुन्नी देवी विधवा पेंशन प्राप्त महिला है व तीन पुत्रों की मां है। अच्छी खेती व दुधारु पशु होने पर भी वह गुजर बसर नहीं कर पाती है और कहीं रोजगार करना चाहती है। आधुनिक परिवेश में महिलाएं यह अच्छी तरह समझ गई हैं कि उनके द्वारा किये गये श्रम का आर्थिक उत्पादन 5 प्रतिशत भी नहीं होता है। इसलिए महिलाओं में सरकारी नौकरियों के प्रति अत्यधिक आकर्षण बढ़ा है। आज से 40 वर्ष पूर्व बड़े शहरों को छोड़कर पर्वतीय अंचलों में शिक्षा नगण्य थी तथा महिलाओं को शिक्षित करने की अनिवार्यता पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। बस किसी तरह विवाह कर देना ही एक मात्र लक्ष्य रहता था। किन्तु सन् 1970 से 88 तक गांव-गांव में हाई स्कूल और इन्टर कालेजों की भरमार हो गई है। लड़कों की मांग भी पढ़ी-लिखी लड़कियों के लिए ही बढ़ी, जो लड़कियां गांवों में पढ़ रही थीं उनका उद्देश्य तो सिर्फ विवाह के लिए एक प्रमाणपत्र प्राप्त करना था और साथ-साथ घर के समस्त कार्यों को भी सीखना जरूरी था। संगीत, कला, विज्ञान, नृत्य, लेखन सामाजिक कार्यों आदि में उपयुक्त अवसर और मार्गदर्शन न मिलने के कारण कई प्रतिभाएं यों ही लुप्त हो जाती हैं। जिला स्तर पर दो-तीन डिग्री कालेज भी स्थित हैं। वर्तमान में वाणिज्य, एल.एल.बी. की कक्षाएं चल रही हैं। अधिकतर बालिकाओं की इन्टरमीडिएट शिक्षा के बाद पढ़ाई आगे नहीं

चल पाती । थोड़ी-बहुत जो लड़कियां विश्वविद्यालय परिसर में पहुंच जाती हैं उनमें से बड़ा भाग केवल कला विषयों से ज्यादा से ज्यादा स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने तक सीमित रहता है। 6 वर्ष पूर्व ही विधि कक्षाओं के सभी छात्रों में से केवल दो छात्राओं ने वकालत के पेशे में आने की हिम्मत की। उनमें से भी एक महिला वकील श्रीमती शैल जैन कहती हैं कि वैसे तो वे रामपुर की रहने वाली हैं वह पर यहां रहने के नाते वह यहीं की मानी जाए। वह बताती हैं कि मैंने कई महिलाओं को प्रोत्साहन दिया किन्तु यहां की महिलाएं शायद पारिवारिक वातावरण या सामाजिक वातावरण के भय के कारण इस प्रकार के व्यवसायों में नहीं आना चाहती हैं। अभी हाल में ही पिथौरागढ़ में दिल्ली पुलिस के लिए भारी संख्या में महिलाओं ने भर्ती के लिए उत्साह दिखाया। एक दो साल बने पूर्वागृह को महिलाओं ने एक झटके से तोड़ दिया है। भारी संख्या में महिलाएं नर्स, स्टैनों आदि के प्रशिक्षण में भी जा रही है। कार्यालयों में भी हर परिवार की महिलाएं काम करना चाहती हैं किन्तु स्वास्थ्य विभाग, पुलिस आदि विभागों में काम करने के लिए महिलाएं विशेष रुचि नहीं दिखाती हैं।

समाज सेवा के क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिशत नगण्य है। महिलाएं समाज सेवा के क्षेत्र में आती हैं तो जो सबसे बड़ी परेशानी उनके सामने आती है वह है आर्थिक मुद्दा। अब आर्थिक स्तर पर अपनी स्थिति कैसे सुदृढ़-बनाये जब कि न तो कोई व्यक्तिगत संस्थान है और न व्यवसाय के लिए उपयुक्त अवसर एवं वातावरण। राजनीति में भी बहुत कम महिलाएं भाग लेती हैं। इसका एक खास कारण यह भी है कि यह क्षेत्र पहाड़ी भू-भाग में है और लोग थोड़ी-थोड़ी जनसंख्या में दूर-दूर बसे हैं। इस प्रकार बहुत-सी महिलाएं तुरन्त एक दूसरे से सम्पर्क स्थापित नहीं कर पाती हैं। न तो द्रुतगामी संचार व्यवस्था होती है और न वाहन व्यवस्था। इसलिए परिस्थितिवश बहुत-सी प्रतिभावान महिलाएं चाह कर भी सामाजिक क्षेत्र में कदम नहीं बढ़ाती हैं। जो बालिकाएं गांवों में अपने अभिभावकों के साथ रहती हैं, उनके माता-पिता अपनी लड़कियों को घर से बाहर अध्ययन करने के लिए भेजने से घर का कार्य सिखाना या तुरन्त ही विवाह कर देना अच्छा समझते हैं।

इस प्रकार जिस हिसाब से स्कूल खुले हैं, उसी हिसाब से महिलाओं के बीच शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ। जब मैं श्रीमती बिष्ट से मिलती हूं और पूछती हूं कि आप अपनी पुत्रियों को आगे क्यों नहीं पढ़ा रही हैं, घर में क्यों बिठा रखा है? तो वे साफ कहती है इन लड़कियों को पढ़ा लिखा कर कौन-सी नौकरी मिल जायेगी। यहां तो कोई क्षेत्र ही नहीं और फिर अपनी बिरादरी में तो इतना पढ़ा लिख लड़का भी नहीं मिलेगा, शादी करनी भी मुश्किल हो जायेगी। वैसे तो पर्वतीय क्षेत्र में शहर भी कस्बे जैसे हैं। देहरादून, कोटद्वार, ऋषिकेश, नैनीताल, अल्मोड़ा आदि स्थान का तेजी से शहरीकरण हो रहा है। इन स्थानों पर रहने वाले 60 प्रतिशत लोग तो अपनी बालिकाओं को खूब पढ़ाते हैं और हर क्षेत्र में जाने को प्रोत्साहित करते हैं। उनके सोचने के नजरिये में एक परिवर्तन आया है। कई महिलाएं प्रभावशाली और आकर्षक पदों पर भी जा रही हैं। किन्तु दूसरी ओर जरा हट कर देखें तो गांवों में रह रही हैं महिलायें अभी भी पुरानी मान्यताओं और अन्धविश्वासों के गर्त में डूबी हुई हैं।

यदि कुल मिलाकर देखा जाये तो एक कर्मठ, बहादुर, संघर्षों से जूझने वाली व अपने मूल्यों की रक्षा करने वाली महिला के रूप में पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं की एक तस्वीर उभरती है।

प्रचार-प्रसार के साधनों द्वारा लोगों के सोचने का नजरिया बदला है और अभिभावकों ने बालिकाओं की शिक्षा के बारे में रुचि लेनी शुरू कर दी है। सैकोट निवासी वृद्ध कृषक श्री गजपाल कहते हैं कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ा लिखा कर क्या करना है बहिन जी! न घर के काम की रहती हैं और न बाहर नौकरी मिलती है। इससे यह साबित होता है कि पढ़ने लिखने से जहां पचास प्रतिशत महिलाओं का जीवन स्तर उठा, वहीं दूसरी ओर अनमेल विवाह और कठोर शारीरिक श्रम ने उन्हें घोर कुंठा से त्रस्त कर दिया। ज्यादातर लड़कियां विवाह कर घर गृहस्थी में लग जाती हैं। किन्तु पर्वतीय क्षेत्रों की जो महिलाएं शहरों में आई उन्होंने अभूतपूर्व क्षमता का परिचय दिया है। शिवानी की लेखन जगत में धाक है तो बछेन्द्रीपाल ने एवरेस्ट पर विजय का झंडा गाड़ा। इस प्रकार यदि पर्वत की कर्मठ महिलाओं को उचित मार्गदर्शन और प्रेरणा मिले तो वे प्रत्येक क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकती है।

लाभदायक है दही स्वास्थ्य के लिए

डा. पांडुरंग भोपले

अपने देश में दूध के बाद दूध से बने भोज्य पदार्थों में दही का उपयोग अधिक मात्रा में होता है। अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने में दही का महत्वपूर्ण योगदान है। जिन्हें दूध नहीं पच पाता ऐसे लोगों के लिए दही एक अच्छा पौष्टिक आहार है। आयुर्वेद में दही को काफी महत्व दिया गया है। इसे वात-कफ दोष नाश करने वाला कहा गया है। यह मूत्र में वृद्धि करने वाला व अरुचि को समाप्त करने वाला है। यह श्वास, पीनस, विषमज्वर, शीत ज्वर में हितकर है। रक्त संचालन बढ़ाने वाला है। दही ऐसे दूध का बनाया जाना चाहिए जिसमें से चिकनाई न निकाली गयी हो। चिकनाई निकाले दूध से बने दही में पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है। दूध से दही तैयार करते समय, दही में पौष्टिक तत्वों की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि इसके लिए किस प्रकार का दूध उपयोग में लाया गया है।

थक्के के रूप में जमा दही का भाग केसीन प्रोटीन युक्त रहता है। दही का प्रोटीन आसानी से पच जाता है। इसके पानी में लेक्टएल्ब्यूमिन तथा लेक्टग्लोब्यूमि नामक प्रोटीन होते हैं, जो पानी में घुलनशील हैं। यदि दही का पानी फेंक दिया जाता है तो ये दोनों प्रोटीन नष्ट हो जाते हैं। दही में सोडियम की काफी मात्रा होती है इसलिए जिन्हें उच्च रक्त चाप हो उन्हें इसका प्रयोग करना उचित नहीं है।

पौष्टिकता और औषध गुणों की दृष्टि से दही दूध से श्रेष्ठ है। इससे भी हड्डियों की दृढ़ता के लिए पर्याप्त मात्रा में कैलशियम प्राप्त होता है। दही में एक ऐसा पदार्थ होता है जो रक्त में कॅलेस्टेरॉल की मात्रा को कम करता है। इस रूप में दही दिल के दौरे की आशंका वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही लाभदायक है।

पोषण की दृष्टि से दही कम चिकनाई वाला सरल व अच्छा आहार है। उसमें उपलब्ध कैलोरी की दृष्टि से उस पर विचार किया जाये तो उसमें प्रोटीन, रिबोफ्लेविन, कैलशियम, विटामिन बी-12 तथा फॉस्फोरस शरीर व स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त मात्रा में निहित हैं। दही में 4 से 5 प्रतिशत तक श्वेत सार पाया जाता है। दही में अन्य खनिज लवण के साथ-साथ पोटाशियम भी उपलब्ध होता है। प्रोटीन की मात्रा दही में 3 से 4 प्रतिशत होती है। प्रोटीन तरल पेप्टोनो और पेप्टाइडों में विघटित होकर आसानी से पच जाता है। लेक्टोस शक्कर का जलांशन हो जाने के कारण दही उन लोगों के लिए अमूल्य बन जाता है जिन्हें लैक्टोज सहनशील न होने के कारण दूध से परहेज करनी पड़ती है।

प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ है कि हानिकारक बैक्टिरिया को समाप्त करने में दही बड़ा सहायक है। दस्त, ग्रहणी, अतिसार, गैस्ट्रेइंटेस्टाइनल जैसे आंतों की बीमारियों में दही को शामक माना जाता है। हेपेटिक (लीवर) रोग, नेफ्राइटिस (गुर्दे के रोग), पतले दस्त, कोलाइटिस, रक्ताल्पता, एनोरेक्सिया (भूख न लगना) तथा इंस्टेस्टाइनल इंटाक्सिकेशन आदि रोगों में, उपचार के लिए दही लाभकारी सिद्ध हुआ है। कुछ वैज्ञानिकों का विश्वास है कि कैंसर व ट्यूमर के लिए भी दही लाभकारी सिद्ध हो सकता है।

दही में उपलब्ध बैक्टिरिया त्वचा को नरम और उद्दीप्त बनाता है। दही का प्रयोग प्राचीन काल से बालों को साफ, स्वच्छ, सुन्दर बनाये रखने के लिए भी होता रहा है। यदि बालों में रूसी हो तो सर धोने के पूर्व बालों में दही की मालिश काफी देर तक करना चाहिए। सौंदर्यवर्धन की दृष्टि से यह त्वचा की खूब सफाई करता है। यह नाड़ी मंडल और त्वचा पर पड़े तीव्र धूप के दुष्प्रभाव को दूर करता है।

संक्रामक बीमारियों के उपरांत स्वास्थ्य लाभ कर रहे व्यक्ति को, दही बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। प्राकृतिक रूप से दही में जीवन प्रतिरोधी गुणों का होना दही की एक और विशेषता है।

मु.पो. कापुसतलनी 444713
तहसील – अंजनगांव सूर्जी
जिला – अमरावती (महाराष्ट्र)

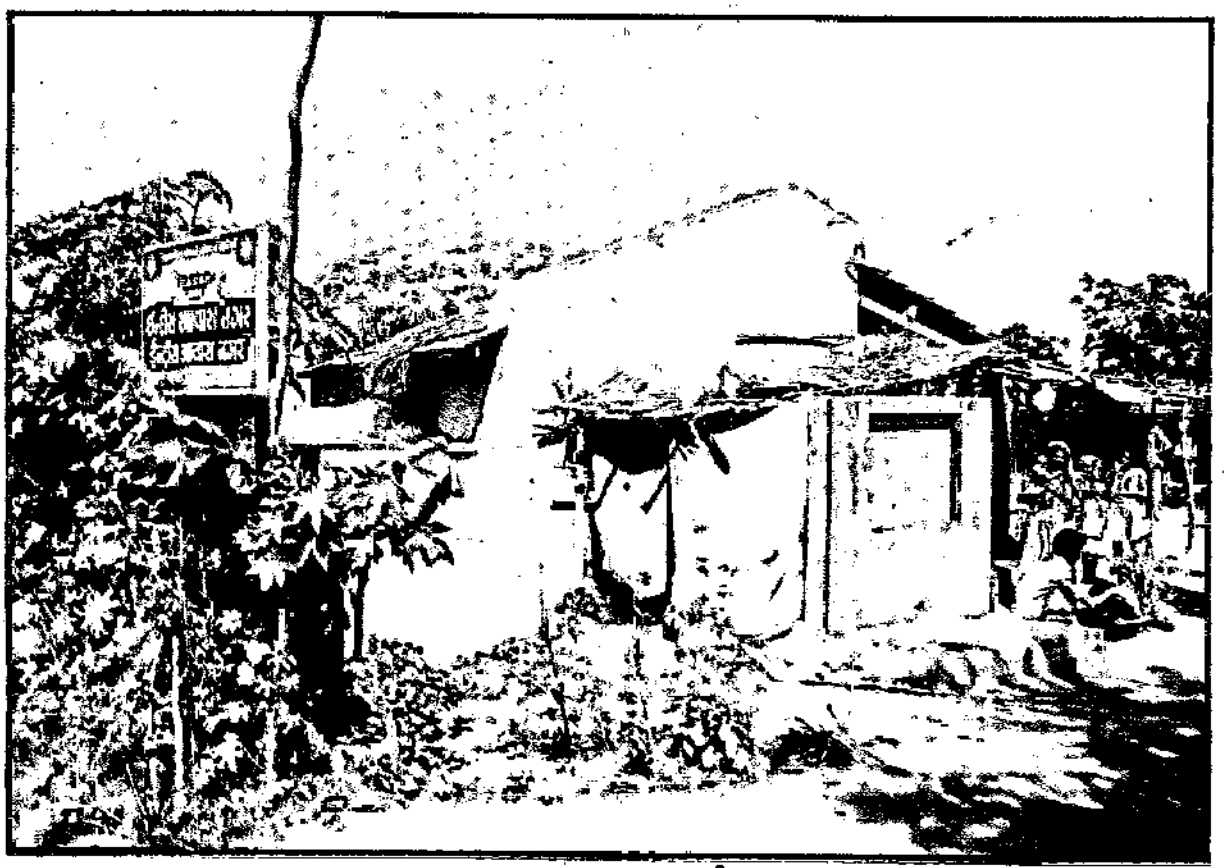

यह सही है कि सभी ग्रामीण बेघर लोगों को नि:शुल्क मकान नहीं दिये जा सकते, लेकिन कम से कम ऐसी प्रणाली तैयार की जा सकती है, जिसके द्वारा आवास कार्य एक सुनियोजित रूप में किये जा सकते हैं और जरूरतमन्द लोग संस्थागत और अन्य सहायता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं ।

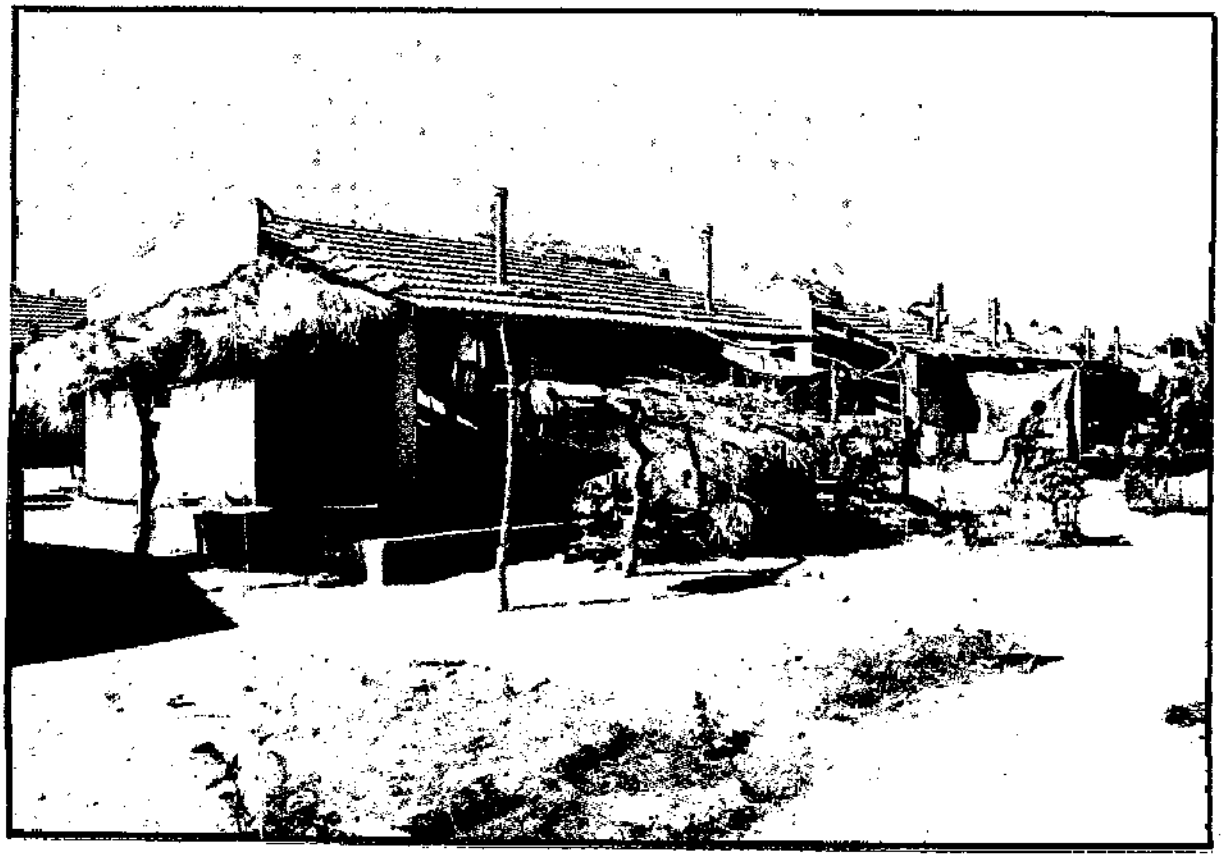

18/10/89

आर.एन./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी (डी एन) 98
पूर्व भुगतान के बिना एन.डी.पी.एस.ओ., नई दिल्ली में डाक में डालने
की अनुमति (लाइसेंस) : यू (डी एन)-55

RN/708/57
P & T Regd. No. D (DN) 98
Licenced under U (DN)-55
to post without pre-payment at NDPSO, New Delhi

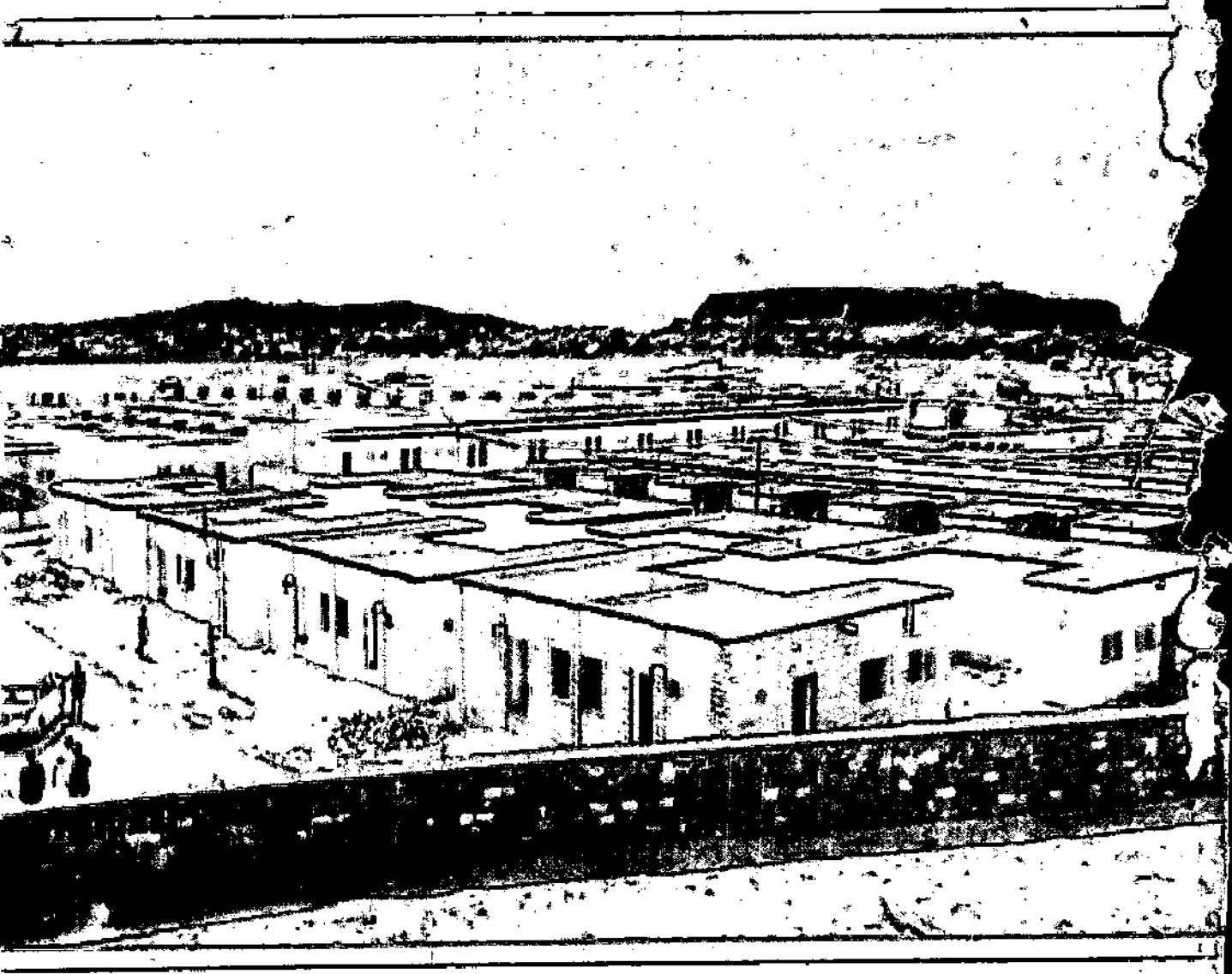

डा. श्याम सिंह शशि, निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित और
वीरेन्द्रा प्रिंटर्स, हरध्यान सिंह रोड, करोल बाग
नई दिल्ली-110005 द्वारा मुद्रित